रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082024-256547
CG-DL-E-22082024-256547

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3234] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2024/ श्रावण 30, 1946
No. 3234] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 2024/ SHRAVANA 30, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2024

का.आ. 3550 (अ).—जबकि विषाक्त और परिसंकटमय पदार्थों से दूषित क्षेत्र वनस्पतियों और जीव-जंतुओं सहित मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करते हैं;

और चूंकि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 औद्योगिक और नगरीय अपशिष्ट को प्रदूषण का प्रमुख कारण मानती है और इस प्रकार यह एक बड़ी चुनौती है जिसके लिए विषैले और परिसंकटमय अपशिष्टों के ढेरों, विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रों और परित्यक्त खदानों की सफाई के लिए रणनीतियों के विकास और कार्यान्वयन के संदर्भ में उचित उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता है, तथा भविष्य में सतत उपयोग के लिए ऐसी भूमि का पुनःग्रहण करना आवश्यक है;

और चूंकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कई संभावित और पुष्ट दूषित स्थलों की पहचान पहले ही कर ली गई है;

और चूंकि, आवश्यकतानुसार सभी पुष्टिकृत दूषित स्थलों का सुधार कार्य किए जाने की आवश्यकता है;

अब, अत: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6, 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5(1), 5(3)(क), 5(13)(1) और 5(13)(2)(i) के साथ पठित, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित प्रारूप नियमों को, जिन्हें केन्द्रीय सरकार बनाने का प्रस्ताव करती है, उन आम जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, और एतद्वारा सूचना

दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्दिष्ट अवधि से पूर्व प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

उक्त मसौदा नियमों के संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव, इंदिरा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भवन, अली गंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली 110003 या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल पते पर: sohsmd-mef@gov.in

मसौदा नियम

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.-**

(1) इन नियमों को संदूषित स्थलों का उपचार नियम, 2024 कहा जाएगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रयोज्यता.- (1) ये नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 की विभिन्न अनुसूचियों और समय-समय पर संशोधित लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 में परिभाषित परिसंकटमय पदार्थों से दूषित स्थलों के उपचार पर लागू होंगे और निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

a. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अंतर्गत आने वाले रेडियोधर्मी अपशिष्टों से संदूषित स्थल;

b. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का 10) के अंतर्गत परित्यक्त खदानों, खनन अपशिष्ट से दूषित स्थलों, खनन के कारण पर्यावरण को होने वाली क्षति का पुनर्वास

c. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, समुद्री बीमा अधिनियम 1963 और वाणिज्य पोत (तेल द्वारा समुद्री प्रदूषण की रोकथाम) नियम, 1974 के तहत तेल रिसाव को नियंत्रित किया जाता है।

(2) उपर्युक्त के बावजूद, यदि किसी स्थल पर खनन अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के साथ परिसंकटमय पदार्थों का मिश्रण है, और यदि परिसंकटमय पदार्थों के साथ स्थल(स्थलों) के संदूषण का स्तर इन नियमों में निर्दिष्ट सीमा से अधिक है, तो ऐसे स्थलों का उपचार इन नियमों के अंतर्गत कवर किया जाएगा।

3. परिभाषाएँ.-

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

1. "पूर्ण दायित्व" से अभिप्रेत है- बिना किसी अपवाद के दोषरहित दायित्व;
2. “अधिनियम” से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;
3. पृष्ठभूमि स्तर से मिट्टी में पदार्थों की सांद्रता अभिप्रेत है जो प्रदूषकों के उत्सर्जन से प्रभावित नहीं होते हैं, और आमतौर पर उन्हें प्राकृतिक रूप से उत्पन्न या मानवजनित के रूप में वर्णित किया जाता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

a. पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो मानव गतिविधि से प्रभावित नहीं हुए हैं; तथा

b. मानवजनित पदार्थ प्राकृतिक और मानव निर्मित पदार्थ हैं जो मानवीय गतिविधियों के परिणामस्वरूप पर्यावरण में मौजूद होते हैं (विशेष रूप से प्रश्नगत दूषित स्थल से संबंधित नहीं)।

4. "समिति" से तात्पर्य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इन नियमों के नियम 4 के अंतर्गत दूषित स्थलों के उपचार से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटने के उद्देश्य से गठित केंद्रीय उपचार समिति से है;

5. “केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड” से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है;

6. "प्रदूषक" से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्क्रीनिंग और प्रतिक्रिया स्तरों पर निर्धारित स्क्रीनिंग मान से ऊपर के परिसंकटमय पदार्थ अभिप्रेत है;

7. "पुष्टिकृत दूषित स्थल" एक ऐसा सीमांकित क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें विस्तृत साइट जांच के बाद, दूषित पदार्थों का स्तर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट प्रतिक्रिया स्तर के बराबर या उससे अधिक और पृष्ठभूमि स्तर से अधिक है;

8. "विस्तृत परियोजना रिपोर्ट" से विस्तृत साइट जांच के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें व्यापक सुधार योजना दी गई है, जिसमें सुधार विकल्प, सुधार का डिजाइन, तकनीकी विनिर्देश, लागत, पर्यावरण और सुधार विकल्प के कार्यान्वयन से जुड़े सामाजिक प्रभाव, कार्यान्वयन अनुसूची और वित्तपोषण योजना की समय-सीमा वाले सुधार दृष्टिकोण शामिल हैं;

9. "निस्सरण" से पर्यावरण में प्रदूषकों को फैलाने, छोड़ने, रिसाव करने, डंप करने, डालने, पंप करने, उत्सर्जित करने, खाली करने, इंजेक्ट करने, बचने, निक्षालन करने या निपटान करने का कोई भी कार्य अभिप्रेत है जिसमें ऐसे प्रदूषक युक्त ड्रम, बैरल, कंटेनर शामिल हैं;

10. "पर्यावरण राहत कोष" से सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 7 (क) के तहत स्थापित कोष अभिप्रेत है;

11. "वित्तीय सुरक्षा" से समिति द्वारा निर्देशित प्रारूप और राशि के अनुसार जमाराशि या बैंक गारंटी अभिप्रेत है;

12. "जांच की गई साइट" से ऐसी साइट अभिप्रेत है, जहां प्रारंभिक मूल्यांकन या विस्तृत जांच के आधार पर, संदूषक विस्तृत साइट जांच द्वारा स्थापित स्क्रीनिंग स्तर या पृष्ठभूमि स्तर पर या उससे नीचे मौजूद हैं, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण को नगण्य खतरा है;

13. "संयुक्त दायित्व" से अभिप्रेत है जब एक से अधिक व्यक्ति या संगठन संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति संबंधित दायित्व की पूरी राशि के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है;

14. "भूमि उपयोग" आवासीय, कृषि, औद्योगिक, वाणिज्यिक या सार्वजनिक उपयोग सहित किसी भी सामान्य भूमि उपयोग से अभिप्रेत है;

15. "स्वामी" उस व्यक्ति या सरकार से अभिप्रेत है जिसके पास भूमि/सुविधा का कब्जा है;

16. "परित्यक्त स्थल" से एक दूषित स्थल अभिप्रेत है जहां जिम्मेदार व्यक्तियों का पता नहीं लगाया जा सकता है और इस कारण से जांच और सुधार के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करना आवश्यक है;

17. “व्यक्ति” में शामिल हैं-

    i. एक व्यक्ति,

    ii. एक कंपनी,

    iii. एक फर्म,

    iv. व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं,

    v. ट्रस्ट का ट्रस्टी,

    vi. एक स्थानीय प्राधिकरण, और

    vii. प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो पूर्ववर्ती उप-खण्डों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है।

18. "याचिका" से इन नियमों के नियम 6(2) के अनुसार प्रस्तुत याचिका से अभिप्रेत है;

19. "दूषित स्थल नोटिस" से इन नियमों के नियम 4(3)(xi) के अनुसार जारी नोटिस से अभिप्रेत है;

20. "संभावित संदूषित स्थल" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है, चाहे उसे चिन्हित किया गया हो या नहीं, जहां संदूषकों की उपस्थिति इन नियमों के तहत निर्धारित प्रारंभिक स्थल मूल्यांकन के आधार पर जांच के स्तर से अधिक है और इसके उपचार की आवश्यकता के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आगे की जांच की आवश्यकता है;

21. "संदर्भ संगठन" से प्रतिष्ठित एकल संगठन या संगठनों का समूह (संस्थान या विश्वविद्यालय या परामर्शदात्री फर्म) अभिप्रेत है, जिसके पास पुष्टिकृत दूषित स्थलों के उपचार से संबंधित प्रासंगिक बहु-विषयक विशेषज्ञता है, जिसमें प्रारंभिक स्थल मूल्यांकन, विस्तृत स्थल जांच, उपचारात्मक जांच, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और पुष्टिकृत दूषित स्थलों का उपचार शामिल है;

22. "सुधारित स्थल" ऐसे स्थल से अभिप्रेत है, जहां पहचाने गए/प्रयासित भूमि उपयोग के लिए सुधार और सुधारोत्तर उपाय क्रियान्वित किए गए है;

23. "सुधार ठेकेदार" से ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है जो सुधार कार्य करने के लिए समिति द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है;

24. "अवशिष्ट संदूषण" से अभिप्रेत है उपचार और उपचार के बाद के उपायों के पूरा होने के बाद संदूषक स्तर;

25. "प्रतिक्रिया स्तर" मिट्टी और तलछट, और भूजल और सतही जल में परिसंकटमय पदार्थों के स्तर हैं जो पृष्ठभूमि स्तर से ऊपर हैं जिस पर मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरा होने की बहुत संभावना है;

26. "जिम्मेदार व्यक्ति" से एक या एक से अधिक व्यक्तियों से अभिप्रेत है जो संयुक्त रूप से या अलग-अलग रूप से साइट के संदूषण के लिए जिम्मेदार हैं और इस प्रकार ऐसे दूषित साइटों के उपचार के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें उपचार लागत और अन्य संबंधित दावे शामिल हैं;

27. "प्रतिबंधित स्थल" से वह स्थल अभिप्रेत है जहां सुधार और सुधार के बाद के उपाय लागू किए गए हैं और वहां अवशिष्ट संदूषण है जिसके लिए भूमि उपयोग और स्थल गतिविधि प्रतिबंधों की आवश्यकता है;

28. "प्रतिबंधित साइट नोटिस" से अभिप्रेत इन नियमों के नियम 9 (17) के अनुसार जारी किया गया नोटिस है;

29. "पूर्वव्यापी दायित्व" से वह दायित्व अभिप्रेत है जो वर्तमान मालिक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो अतीत में साइट के मालिक थे;

30. "स्क्रीनिंग स्तर" मिट्टी और तलछट, और भूजल और सतही जल में परिसंकटमय पदार्थों की सांद्रता से अभिप्रेत है, जिस पर या उससे नीचे मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए संभावित जोखिम होने की संभावना नहीं है और जहां आगे की जांच और आकलन की आवश्यकता नहीं है;

31. "कई दायित्व" से अभिप्रेत है जब एक से अधिक व्यक्ति या संगठन अलग-अलग उत्तरदायी होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से प्रासंगिक दायित्व के केवल अपने हिस्से के लिए उत्तरदायी होता है;

32. "संदेहास्पद दूषित स्थल" उस क्षेत्र से अभिप्रेत है जिसके दूषित होने का संदेह है और जिसमें सुधार संबंधी जांच और सुधार कार्य सहित अन्य गतिविधियों की गुंजाइश पैदा होती है;

33. "साइट रजिस्ट्री" दूषित साइट रजिस्ट्री से अभिप्रेत है जिसमें देश में संदिग्ध दूषित, संभावित दूषित और पुष्टिकृत दूषित साइटों की जानकारी होती है, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित और बनाए रखा जाता है;

34. किसी संदूषक के संबंध में "स्रोत" उस स्थान से अभिप्रेत है जहां से कोई संदूषक पर्यावरण में प्रवेश कर चुका है या कर सकता है;

35. "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित प्रदूषण नियंत्रण समिति से अभिप्रेत है;

36. " स्वैच्छिक उपचार" से तात्पर्य इन नियमों के नियम 13 के अनुसार किए गए कुछ प्रकार के उपचार से है।

(2) इन नियमों में अंतर्विष्ट तथा अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों, किन्तु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा अधिनियम के अधीन अन्य नियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम तथा संबंधित नियम में हैं।

4. केन्द्रीय उपचार समिति.- (1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय उपचार समिति का गठन किया जाएगा।

(2) समिति में संबंधित मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रतिनिधि और संबंधित विषयों के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे।

(3) केन्द्रीय सुधार समिति के दायित्व.-

i. संदर्भ संगठन की योग्यता के लिए मानदंड निर्धारित करना और संदर्भ संगठन की सूची के अनुमोदन के लिए समीक्षा करना;

ii. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए मूल प्रारूप निर्धारित करना, उसे सभी संदर्भ प्रयोजनों के लिए प्रकाशित करना तथा समय-समय पर प्रारूप की समीक्षा करना;

iii. जिम्मेदार व्यक्तियों, सुधार लागत, पर्यावरणीय क्षति के निर्धारण के लिए प्रक्रिया स्थापित करना

iv. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 या उसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी आदेशों या निर्देशों के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफलता या उल्लंघन के लिए दायित्व स्थापित करना ;

v. इन नियमों के अनुसार सुधार ठेकेदार और साइट अन्वेषक के लिए योग्यता मानदंड निर्दिष्ट करना;

vi. वित्तीय सुरक्षा के प्रारूप और राशि का निर्धारण और अंतिम रूप देना;

vii. परित्यक्त संभावित दूषित स्थलों की सूची प्राप्त होने पर, शहरी स्थानीय निकाय/जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थान को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों में निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत जांच का कार्य एक संदर्भ संगठन को सौंपने की सिफारिश करना;

viii. किसी संदर्भ संगठन द्वारा प्रस्तुत संभावित दूषित साइट की विस्तृत साइट जांच की समीक्षा करना;

ix. यदि विस्तृत साइट जांच के आधार पर, संदूषकों का स्तर पृष्ठभूमि और स्क्रीनिंग स्तर से ऊपर लेकिन प्रतिक्रिया स्तर से नीचे पाया जाता है, तो आगे की कार्रवाई का निर्णय लेना;

x. विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर राज्य सरकार के परामर्श से निर्णय लेना कि क्या साइट दूषित साइट है और क्या इसे सुधार की आवश्यकता है या केवल कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, भविष्य में भूमि उपयोग सहित जोखिम आधारित मूल्यांकन के आधार पर;

xi. जहां तक संभव हो, पुष्टिकृत दूषित स्थल को चिन्हित करना तथा पुष्टिकृत दूषित स्थल को पुष्टिकृत दूषित स्थल नोटिस के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के साथ प्रकाशित करना:

   a. साइट की सीमाएं और विशेषताएं;

   b. संदूषण की प्रकृति और स्तर तथा संदूषण के संभावित स्रोत;

   c. भूमि, भूजल और सतही जल के संबंध में मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण या संपत्ति को नुकसान का मौजूदा या आसन्न खतरा;

   d. भूमि उपयोग और साइट गतिविधि प्रतिबंध और सुरक्षा उपाय;

   e. साइट के सुधार की स्थिति;

   f. ऐसी अन्य जानकारी जिसे समिति आवश्यक एवं उचित समझे।

xii. परित्यक्त पुष्ट दूषित स्थलों की प्राथमिकता सूची को मंजूरी देना;

xiii. सुधार जांच रिपोर्ट की समीक्षा करना;

xiv. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्राथमिकता सूची में अन्य स्थलों का चयन करने अथवा प्राथमिकता सूची में ऐसे कारकों के आधार पर परिवर्तन करने का निर्देश देना, जिन्हें वह उचित समझता हो। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किसी भी स्थल की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन करने के अपने निर्णय को दर्ज करेगा;

xv. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि से 4 महीने के भीतर अनुमोदन प्रदान करना;

xvi. योजना प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर अतिरिक्त/पूरक उपचार योजना के अनुमोदन की सूचना देना;

xvii. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुधार कार्य पूरा होने की रिपोर्टिंग के 60 दिनों के भीतर समिति की सिफारिश के आधार पर अतिरिक्त/अनुपूरक सुधार कार्यकलापों को पूरा करने को मंजूरी देना;

xviii. योजना प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर सुधारोत्तर निगरानी योजना के लिए अनुमोदन संप्रेषित करना;

xix. पुष्टिकृत दूषित स्थल की अस्थायी अभिरक्षा और नियंत्रण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति को सौंपने के लिए मालिक को निर्देश देना ताकि सुधारात्मक गतिविधियां की जा सकें और पुष्टिकृत दूषित स्थल पर रहने वाले लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके।

xx. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उचित भूमि उपयोग और साइट गतिविधि प्रतिबंध को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रतिबंधित साइट नोटिस जारी करने की मंजूरी प्रदान करना और प्रतिबंधित साइट नोटिस के अनुसार भूमि रिकॉर्ड में टिप्पणी संशोधित करने के लिए भूमि अधिकारियों को निर्देश देना;

xxi. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भूमि अभिलेखों में टिप्पणी हटाने के लिए भूमि प्राधिकारियों को निर्देश देने की मंजूरी प्रदान करना;

xxii. समिति की सिफारिश के आधार पर पुष्टिकृत दूषित स्थल के उपचार से संबंधित बहु-विषयक विशेषज्ञता रखने वाले संदर्भ संगठन की सूची प्रकाशित करना, जिसका उपयोग राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन से लेकर उपचार के बाद की निगरानी तक उपचार से संबंधित गतिविधियों को सौंपने के लिए किया जा सकता है, जिसमें उपचार जांच और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना शामिल है, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है;

xxiii. यदि कोई संशोधन हो तो संदर्भ संगठन की अद्यतन सूची प्रकाशित करना।

xxiv. प्रस्तावित साइट विशिष्ट लक्ष्य स्तर (एसएसटीएल) के साथ सुधार के लिए विस्तृत योजना की तैयारी और सुधार डिजाइन को मंजूरी देना;

xxv. सुधार लागत और वित्तपोषण तंत्र की सिफारिश करना;

xxvi. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पुष्टिकृत दूषित स्थलों के प्रकाशन के संबंध में जनता से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों/टिप्पणियों पर विचार करना तथा समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों में निर्धारित अंतिम प्रकाशन के लिए सिफारिश प्रस्तुत करना।

(4) समिति की बैठक छह माह में कम से कम एक बार होगी।

(5) समिति संदिग्ध, संभावित तथा पुष्ट संदूषित स्थलों की सूची तथा इन नियमों के अंतर्गत निषिद्ध एवं विनियमित गतिविधियों के ब्यौरे की वार्षिक समीक्षा करेगी।

(6) समिति विनियमित की जाने वाली गतिविधियों के लिए सीमा स्तर तथा संभावित एवं पुष्ट संदूषित स्थलों में गतिविधियां करने की पद्धति एवं कार्यप्रणाली निर्दिष्ट करेगी।

(7) समिति संदिग्ध, संभावित तथा पुष्ट दूषित स्थलों की सूची बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का विकास तथा उसका संचालन सुनिश्चित करेगी।

(8) समिति की समस्त गतिविधियां ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएंगी ।

5. केन्द्र सरकार के उत्तरदायित्व - (1) केन्द्र सरकार केन्द्रीय सुधार समिति का गठन करेगी।

(2) केन्द्र सरकार, पुष्टिकृत संदूषित स्थलों पर पहले से रह रहे लोगों को उन स्थलों के उपचार प्रक्रिया के भाग के रूप में स्थानांतरित करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश कर सकती है।

6. पंचायती राज संस्थाओं की जिम्मेदारियां.- (1) शहरी स्थानीय निकाय/जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं औद्योगिक क्षेत्रों और उद्योगों को छोड़कर अपने-अपने क्षेत्रों में संदिग्ध दूषित स्थलों की सूची तैयार करेंगी, सभी संस्थाओं जैसे रेलवे, पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र से जानकारी लेंगी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेंगी।

(2) संदिग्ध संदूषित स्थल का चयन सार्वजनिक शिकायत के आधार पर या शहरी स्थानीय निकाय/जिला स्तरीय पंचायती राज संस्था के अपने अनुभव के आधार पर किया जा सकता है, जिसमें शहरी स्थानीय निकाय/जिला स्तरीय पंचायती राज संस्था निम्नलिखित कारकों द्वारा निर्देशित होगी और ऐसी सूचना के आधार पर कार्य करेगी:

a. औचित्य के साथ प्राप्त कोई याचिका या सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट की गई कोई घटना;

b. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के कार्यान्वयन के माध्यम से उपलब्ध कोई भी जानकारी और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत सहमति के प्रबंधन के माध्यम से उपलब्ध जानकारी;

c. किसी भी एजेंसी द्वारा किए गए पूर्व अध्ययन या जांच;

d. स्थान कारकों के माध्यम से उपलब्ध जानकारी जो संदूषण के जोखिम को बढ़ाती है जैसे कि पहले से दूषित साइट के आसपास और रसायनों का भूमिगत भंडारण ;

e. ऐसे अन्य कारक जिन्हें वह उचित समझे।

(3) संदिग्ध दूषित स्थल का प्रारंभिक स्थल मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें डेस्क समीक्षा और सीमित नमूनाकरण तथा विश्लेषण शामिल होगा, ताकि समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर संभावित दूषित स्थल के रूप में इसकी स्थिति का निर्धारण किया जा सके। संदिग्ध दूषित स्थलों की रिपोर्ट शहरी स्थानीय निकाय/जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थान द्वारा समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार समिति को भेजी जाएगी ।

(4) शहरी स्थानीय निकाय/जिला स्तरीय पंचायती राज संस्था या तो स्वयं प्रारंभिक स्थल मूल्यांकन कर सकती है या संदर्भ संगठन के माध्यम से मालिक से करवा सकती है। प्रारंभिक स्थल मूल्यांकन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा ।

(5) वर्गीकरण में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित स्क्रीनिंग और प्रतिक्रिया स्तरों के अनुसार संदूषक स्तर का उपयोग किया जाएगा; जिसमें यदि पाए गए संदूषकों का स्तर स्क्रीनिंग स्तर से ऊपर है, तो साइट को संभावित साइट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि वे स्क्रीनिंग स्तर से नीचे हैं, तो साइट को जांच की गई साइट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और समिति को रिपोर्ट किया जा सकता है।

(6) शहरी स्थानीय निकाय/जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं अपने-अपने क्षेत्र में संभावित दूषित स्थलों की सूची इन नियमों के लागू होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष आगामी वर्ष की 30 जून तक प्रपत्र 1 में दिए गए प्रारूप के अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेंगी।

(7) संभावित दूषित स्थलों की विस्तृत साइट जांच की जाएगी। शहरी स्थानीय निकाय/जिला स्तरीय पंचायती राज संस्था या तो स्वयं विस्तृत साइट जांच कर सकती है या संदर्भ संगठन के माध्यम से मालिक से करवा सकती है। विस्तृत साइट जांच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

(8) शहरी स्थानीय निकाय/जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं परित्यक्त दूषित स्थलों की सूची केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेंगी।

(9) शहरी स्थानीय निकाय/जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल पर संदिग्ध दूषित स्थल/संभावित दूषित स्थल/पुष्टिकृत दूषित स्थल के रूप में दूषित स्थलों की संख्या और श्रेणी तथा उनकी स्थिति (संदेहास्पद दूषित स्थल-कोई प्रारंभिक जांच नहीं/प्रारंभिक जांच के अधीन/प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी; संभावित दूषित स्थल-कोई विस्तृत जांच नहीं/विस्तृत जांच के अधीन/विस्तृत जांच पूरी हो चुकी; पुष्ट दूषित स्थल-कोई उपचार नहीं/उपचार के अधीन/उपचार पूरा हो चुका) के बारे में वार्षिक रिटर्न आगामी वर्ष की 30 जून तक दाखिल करेंगी।

(10) शहरी स्थानीय निकाय/जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं, किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्थल पर संदूषण या संदूषकों की उपस्थिति से संबंधित याचिका प्राप्त होने पर, याचिका के कारण को व्यापक रूप से उचित ठहराते हुए, प्रारंभिक स्थल मूल्यांकन की आवश्यकता का आकलन करेंगी, जिसके आधार पर राज्य की वार्षिक सूची में स्थल को शामिल करने की आवश्यकता पर निर्णय लिया जाएगा।

(11) शहरी स्थानीय निकाय/जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं संभावित या पुष्टिकृत दूषित स्थल नोटिस प्रदर्शित करेंगी अथवा दूषित संभावित या पुष्टिकृत स्थल नोटिस को स्थल पर प्रमुखता से प्रदर्शित करवाएंगी तथा संबंधित सार्वजनिक प्राधिकारियों को भी स्थल नोटिस की एक प्रति उपलब्ध कराएंगी।

(12) संभावित या पुष्टिकृत दूषित स्थल नोटिस की प्रति प्राप्त होने पर, भूमि प्राधिकारी भूमि अभिलेख में यह टिप्पणी जोड़ेंगे कि विशेष भूमि संभावित या पुष्टिकृत दूषित है और

a. भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक होगी;

b. भूमि उपयोग और साइट गतिविधि के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण की अनुमति की आवश्यकता होगी, जिसमें निर्माण, उत्खनन, साइट से सामग्री का परिवहन, सतही जल का उपयोग और भूजल की निकासी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है;

c. टिप्पणी को केवल सार्वजनिक प्राधिकरण से निर्देश प्राप्त होने पर ही हटाया जाएगा।

(13) वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण, सरकार, एजेंसी या व्यक्ति समिति की अनुमति के बिना निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा या नहीं कराएगा:

a. किसी संभावित या पुष्टिकृत दूषित स्थल के भूमि उपयोग में परिवर्तन करना;

b. किसी संभावित या पुष्टिकृत दूषित स्थल की भूमि या भवन के किसी भाग या सम्पूर्ण भाग के स्वामित्व में हस्तांतरण या परिवर्तन करना;

c. संभावित या पुष्टिकृत दूषित स्थल पर किसी सुविधा के स्वामित्व में हस्तांतरण या परिवर्तन, जिसमें संभावित या पुष्टिकृत दूषित स्थल पर ऐसी सुविधा का स्वामित्व रखने वाली कंपनी के स्वामित्व में कोई हस्तांतरण या परिवर्तन शामिल है;

d. कोई गतिविधि करना या बंद करना, जिसमें स्थल से किसी सामग्री का स्थानांतरण या परिवहन शामिल है।

(14) शहरी स्थानीय निकाय/जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं पुष्टिकृत दूषित स्थलों की वार्षिक सूची तैयार करेंगी तथा उसे प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक प्रपत्र 2 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।

(15) शहरी स्थानीय निकाय/जिला स्तरीय पंचायती राज (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) संस्था के कार्यकारी प्रमुख अपनी अध्यक्षता में इन नियमों के कार्यान्वयन, प्रवर्तन और निगरानी को शहरी स्थानीय निकाय स्तर/जिला स्तरीय पंचायती राज संस्था स्तर पर पर्यावरण और अन्य संबंधित मुद्दों पर मौजूदा समिति के अधिदेशों में से एक के रूप में शामिल करेंगे। समिति में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जिला/क्षेत्रीय कार्यालय का प्रतिनिधित्व होगा और पर्यावरण विभाग के जिला/क्षेत्रीय कार्यालय का भी प्रतिनिधित्व होगा।

7. औद्योगिक विकास प्राधिकरणों और उद्योगों की जिम्मेदारियां.- (1) औद्योगिक क्षेत्रों/उद्योगों के लिए, संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण/उद्योग केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करेंगे तथा भेजेंगे, जिसमें संदिग्ध दूषित स्थलों/संभावित दूषित स्थलों/पुष्टिकृत दूषित स्थलों के रूप में स्थलों की संख्या तथा वर्गीकरण के बारे में जानकारी शामिल होगी।

8. राज्य सरकार की जिम्मेदारियां.- (1) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार निम्नलिखित से संबंधित मामलों पर समिति को अपने विचार प्रदान करेगी:

a. संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संदिग्ध, संभावित या पुष्टिकृत दूषित स्थलों की सूची की समीक्षा करना;

b. भावी भूमि उपयोग सहित जोखिम आधारित मूल्यांकन के आधार पर यह निर्णय लेना कि क्या संभावित दूषित स्थल पुष्ट रूप से दूषित स्थल है और क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है या केवल कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध की आवश्यकता है;

c. संभावित दूषित स्थलों की सूची प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर, विस्तृत जांच का कार्य संदर्भ संगठन को सौंपना; तथा

d. रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्ताव पर निर्णय लेना, कि क्या साइट निश्चित रूप से दूषित साइट है और क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है या केवल कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, जिसमें भावी भूमि उपयोग सहित जोखिम आधारित मूल्यांकन शामिल है।

(2) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार संदिग्ध/संभावित/पुष्टिकृत दूषित स्थलों की समीक्षा करेगी ताकि समय पर उपचार सुनिश्चित किया जा सके।

(3) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार परित्यक्त स्थलों के सुधार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तौर-तरीके विकसित करेगी।

(4) आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को परित्यक्त दूषित स्थल के अंतर्गत भूमि आवंटित कर सकती है। आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण (जी) और शहरी (यू) के तहत आवासीय मकानों के निर्माण के लिए, निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसके सुधार और निवास के लिए इसकी उपयुक्तता की घोषणा के बाद।

(5) इन नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने के भीतर अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव - पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में सचिव- नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास विभाग, प्रभारी सचिव - पंचायती राज विभाग, सचिव - औद्योगिक विभाग के साथ एक समिति का गठन करेगा।

9. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारियां.- (1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहरी स्थानीय निकायों/जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्राप्त रिपोर्ट, जिसमें सूचना शामिल होगी तथा स्थलों को जांचे गए स्थलों/संभावित दूषित स्थलों/पुष्टिकृत दूषित स्थलों के रूप में वर्गीकृत करते हुए उनकी स्थिति की जानकारी समिति को भेजेगा।

(2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता वाले सभी पुष्टिकृत दूषित स्थलों को, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पुष्टिकृत दूषित स्थल सूची की प्राप्ति की तारीख से 90 दिनों के भीतर मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरे को दर्शाने हेतु प्राथमिकता सूची तैयार करने हेतु रैंकिंग प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत करेगा।

(3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर उपचार के लिए राज्यों में साइटों को प्राथमिकता देगा।

(4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर, प्राथमिकता सूची में अन्य स्थलों का चयन करेगा या प्राथमिकता सूची में ऐसे कारकों के आधार पर परिवर्तन करेगा जिन्हें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उचित समझे।

(5) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अपने विचार उपलब्ध कराएगा ताकि एक दूषित स्थल रजिस्ट्री को अद्यतन रखा जा सके जिसमें देश में संदिग्ध, संभावित और पुष्टिकृत दूषित स्थलों के बारे में समस्त सूचना हो।

(6) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुष्टिकृत दूषित स्थल के बारे में समिति की सिफारिश से 90 दिनों के भीतर, एक संदर्भ संगठन द्वारा सुधारात्मक डिजाइन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को आदेश देगा। सुधारात्मक डिजाइन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मार्गदर्शन क्रमशः अनुसूची I और अनुसूची II में दिया गया है ।

(7) जिम्मेदार व्यक्ति की ओर से धीमी प्रतिक्रिया के मामले में, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मूल्यांकन से लेकर उपचार के बाद तक की सुधारात्मक गतिविधि को स्वयं ही करेगा; तथापि, मूल्यांकन से उपचार तक की पूरी लागत का भुगतान जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।

(8) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा करेगा, यदि आवश्यक हो तो उसे संशोधित कराएगा तथा संदर्भ संगठन से मूल या संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से दो माह के भीतर अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(9) परित्यक्त स्थलों और न्यायालय के अधीन विचाराधीन स्थलों के मामले में, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:

i. संदर्भ संगठन की सेवाओं का उपयोग करते हुए, उपचारात्मक योजना (अवशिष्ट संदूषण के मामले में अनुपूरक उपचार) विकसित करें और इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों में निर्धारित समय सीमा के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करें।

ii. संदर्भ संगठन की सेवाओं का उपयोग करते हुए, स्वयं ही पुष्ट दूषित स्थलों के उपचार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और उपचार डिजाइन तैयार करना;

iii. संदर्भ संगठन की सेवाओं का उपयोग करते हुए, स्वयं ही उपचार के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया आरंभ करना (अवशिष्ट संदूषण के मामले में अनुपूरक उपचार) जिसमें उपचार कार्यों के कार्यान्वयन के लिए निविदा दस्तावेजों की तैयारी और उपचार ठेकेदारों के लिए बोलियां आमंत्रित करना शामिल है;

iv. निविदा मूल्यांकन रिपोर्ट और सुधार योजना रिपोर्ट (अवशिष्ट संदूषण के मामले में अनुपूरक सुधार योजना रिपोर्ट) 60 दिनों के भीतर समीक्षा और अनुमोदन के लिए समिति को प्रस्तुत करना, जो 60 दिनों के भीतर अपना अनुमोदन प्रदान करेगी;

v. समिति के अनुमोदन के आधार पर उपचार ठेकेदार (अवशिष्ट संदूषण के मामले में पूरक उपचार ठेकेदार) की नियुक्ति करना। समिति से मंजूरी मिलने के तुरंत बाद ठेकेदार द्वारा सुधार कार्य शुरू किया जाएगा और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में शामिल संदर्भ संगठन द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी;

vi. सुधार कार्य (अवशिष्ट संदूषण के मामले में अनुपूरक सुधार कार्य) की बारीकी से निगरानी करना और संदर्भ संगठन की सेवाओं का उपयोग करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट विनिर्देशों के विरुद्ध परिणामों को सत्यापित करना

vii. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपचार (अवशिष्ट संदूषण के मामले में अनुपूरक उपचार) पूरा होने की रिपोर्ट देगा, जो 60 दिनों के भीतर समिति की सिफारिश के आधार पर उपचार गतिविधियों को पूरा करने की मंजूरी देगा।

(10) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संदर्भ संगठन की सेवाओं का उपयोग करते हुए, सुधार पश्चात निगरानी योजना विकसित करेगा तथा समिति द्वारा अनुशंसित सुधार पूर्णता आदेश या अतिरिक्त/अनुपूरक पूर्णता आदेश जारी करने के पश्चात, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसे समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(11) उपचारोत्तर निगरानी योजना में प्रबंधन उपाय, निगरानी और रखरखाव उपायों सहित तकनीकी उपाय, विचलन बिंदु और रिपोर्टिंग योजना शामिल होगी।

(12) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वयं अथवा जिम्मेदार व्यक्ति के माध्यम से उपचारोत्तर निगरानी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए निविदा दस्तावेज तैयार करेगा तथा यदि आवश्यक हो तो बोलियां आमंत्रित करेगा।

(13) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निविदा मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा करेगा।

(14) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उपचार के बाद निगरानी उपायों के पूरा होने की रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देगा, जो समिति की सिफारिश के आधार पर 60 दिनों के भीतर उपचार के बाद निगरानी उपायों के पूरा होने को मंजूरी देगा।

(15) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सुधार कार्य पूर्ण करने के आदेश द्वारा, साइट स्वामी को ऐसे उपाय करने का निर्देश देगा, जिन्हें वह उचित समझे, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

a. साइट पर अनुमत गतिविधियाँ करना और अनुमत उद्देश्यों के लिए साइट का उपयोग करना तथा साइट पर प्रतिबंधित गतिविधियाँ नहीं करना और प्रतिबंधित उद्देश्यों के लिए साइट का उपयोग नहीं करना;

b. किसी अन्य व्यक्ति को साइट पर प्रतिबंधित गतिविधियां करने की अनुमति नहीं देना और किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिबंधित उद्देश्यों के लिए साइट का उपयोग करने की अनुमति नहीं देना;

c. साइट के स्वामित्व या नियंत्रण के किसी भी परिवर्तन या हस्तांतरण की सूचना देना;

d. भविष्य में किसी भी मूल्यांकन या जांच के लिए साइट तक पहुंच की अनुमति देना;

e. सलाह के अनुसार स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों का पालन करना;

f. ऐसे अन्य मामले जिन्हें वह उचित समझे।

(16) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सुधारात्मक कार्य पूर्ण करने के आदेश की एक प्रति राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सुसंगत सार्वजनिक प्राधिकरणों और उत्तरदायी व्यक्तियों को, जैसा लागू हो, उपलब्ध कराएगा।

(17) प्रतिबंधित स्थल के लिए, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, उचित भूमि उपयोग और स्थल गतिविधि प्रतिबंध को दर्शाने के लिए प्रतिबंधित स्थल नोटिस जारी करेगा और प्रतिबंधित स्थल नोटिस के अनुसार भूमि अभिलेखों में टिप्पणी को संशोधित करने के लिए भूमि प्राधिकारियों को निर्देश देगा। सुधारित स्थल के लिए, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, भूमि प्राधिकारियों को भूमि अभिलेखों में टिप्पणी को हटाने के लिए निर्देश देगा ।

(18) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रारंभिक मूल्यांकन से लेकर उपचार के बाद की निगरानी तक उपचार से संबंधित गतिविधियों को सौंपने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित संदर्भ संगठन की सूची का उपयोग करेगा, जिसमें उपचार जांच और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना शामिल है, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(19) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तुरंत जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश शुरू करेगा और सूची के भाग के रूप में साइट की संभावित दूषित साइट के रूप में पुष्टि होने के बाद प्रथम दृष्टया साक्ष्य एकत्र करेगा।

(20) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सूची में प्रत्येक स्थल के संदर्भ में जिम्मेदार व्यक्ति का ब्यौरा समिति को प्रस्तुत करेगा।

(21) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, समिति की सिफारिश के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से इन नियमों के अधीन उपबंधों के किसी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर वित्तीय दंड लगाएगा।

(22) शहरी स्थानीय निकायों/जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से प्रपत्र 2 में प्राप्त वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक पुष्टिकृत दूषित स्थलों की वार्षिक सूची तैयार करेगा तथा प्रपत्र 3 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पुष्टिकृत दूषित स्थल के स्वामी तथा जिम्मेदार व्यक्ति की सूची भी तैयार करेगा तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचना प्रस्तुत करेगा।

(23) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संदिग्ध दूषित, संभावित दूषित और पुष्ट दूषित स्थलों के साथ-साथ उपचार की प्रगति के संबंध में समस्त विवरण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा।

(24) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अधिकतम 6 महीने में समिति को प्रस्तुत की जाएगी । राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समीक्षा के बाद ही कोई विस्तार दिया जाएगा ।

10. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारियां.- (1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, समिति की सिफारिश के साथ, सार्वजनिक सूचना के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पुष्टिकृत दूषित स्थल के रूप में स्थल को प्रकाशित करेगा तथा प्रभावित होने की संभावना वाले आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करेगा, ताकि वे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशा-निर्देशों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर अभ्यावेदन दे सकें।

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जनता से प्राप्त अभ्यावेदन/टिप्पणियों को समिति को भेजेगा।

(3) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समिति की सिफारिशें प्राप्त होने पर साइट को संभावित या पुष्टिकृत दूषित, साइट उपयोग गतिविधि पर प्रतिबंध, आवश्यक सुरक्षा उपाय और साइट अधिभोगियों का अस्थायी स्थानांतरण, यदि आवश्यक हो और उपचार की स्थिति प्रकाशित करेगा और इसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजेगा।

(4) समिति की सिफारिशें प्राप्त होने पर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अंतिम उपचार पूर्णता आदेश प्रकाशित करेगा।

(5) पूर्णता आदेश जारी करते समय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह निर्णय लेगा कि:

a. अतिरिक्त/पूरक उपचार उद्देश्यों की पूर्ति हो गई है और अतिरिक्त/पूरक उपचार पूर्णता आदेश जारी किया गया है; या

b. अतिरिक्त /अनुपूरक उपचार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई है तथा अतिरिक्त या संशोधित उपचार उपायों का निर्देश दिया गया है।

(6) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, समिति की सिफारिश के आधार पर, इन नियमों के अन्तर्गत प्रावधानों के किसी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर वित्तीय दंड लगाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुमोदन प्रदान करेगा।

(7) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी संभावित और पुष्ट दूषित स्थलों की जियोटैगिंग/जियो-फेंसिंग, रिमोट सेंसिंग और उपग्रह इमेजरी के साथ ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा।

(8) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से ऑनलाइन पोर्टल पर एक दूषित स्थल रजिस्ट्री स्थापित करेगा तथा उसका रखरखाव करेगा, जिसमें देश में संभावित पुष्ट दूषित स्थलों के बारे में समस्त जानकारी होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

a. साइट विवरण और स्थान;

b. प्रदूषक की सीमा और स्तर तथा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को होने वाले नुकसान का खतरा;

c. साइट पर सभी जानकारी जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, नक्शे, याचिकाएं, रिपोर्ट, आदेश, नोटिस, अनुमोदन, निर्णय, संचार, योजनाएं, साक्ष्य, अदालती कार्यवाही और भूमि रजिस्टर में नोटिंग शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है;

d. भूमि उपयोग और साइट गतिविधि प्रतिबंध;

e. उपचार प्रक्रिया की स्थिति;

f. साइट या सुधार कार्य से जुड़े या शामिल सभी व्यक्तियों का संपर्क विवरण;

g. ऐसी अन्य जानकारी जिसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उचित समझे।

(9) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय-समय पर प्रारंभिक स्थल मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।

(10) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय-समय पर विस्तृत साइट जांच के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा। दिशा-निर्देश जांच रणनीति, मिट्टी, हवा और पानी के नमूने एकत्र करने और उनका परीक्षण करने की कार्यप्रणाली, संभावित संदूषण के स्रोतों, रिसेप्टर और मार्ग की पहचान करने और यह आकलन करने के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे कि क्या साइट मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर सकती है।

(11) विस्तृत साइट जांच के दौरान, यदि संदूषण का स्तर प्रतिक्रिया स्तर से ऊपर पाया जाता है, तो साइट को पुष्टिकृत दूषित साइट के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और उसे उपचार की आवश्यकता होगी।

(12) समय-समय पर जोखिम आधारित मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करेगा ।

(13) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय-समय पर उपचार के लिए स्थलों की प्राथमिकता के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करेगा।

(14) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय-समय पर विस्तृत उपचारात्मक जांच के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करेगा।

(15) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निधियों का उपयोग करके परित्यक्त स्थलों के सुधार के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करेगा।

(16) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किसी स्थल की स्थिति को साइट रजिस्ट्री में सुधारित स्थल या प्रतिबंधित स्थल के रूप में इस आधार पर चिह्नित करेगा कि वहां अवशिष्ट संदूषण है या नहीं।

(17) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्ररूप 4 में दूषित स्थलों के प्रबंधन पर समेकित समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा तथा इसे प्रत्येक वर्ष एक बार 30 सितम्बर से पहले अपनी सिफारिशों के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजेगा तथा इसे ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित करेगा।

(18) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी दिशा-निर्देश/सूचनाएं ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित करेगा।

(19) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 7 (ए) के अंतर्गत पर्यावरण राहत निधि के अंतर्गत निधियों के उपयोग को उन दूषित स्थलों के लिए अनुमोदित कर सकता है, जहां जिम्मेदार व्यक्तियों ने उपचार के लिए निधियां नहीं दी हैं या परित्यक्त स्थलों के मामले में।

(20) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्क्रीनिंग और प्रतिक्रिया स्तरों के अनुसार प्रदूषक स्तर का वर्गीकरण निर्धारित करेगा।

(21) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के अंतर्गत दायित्वों की पूर्ति न करने या प्रावधानों का अनुपालन न करने की स्थिति में जिम्मेदार व्यक्तियों/संस्थाओं से पर्यावरण मुआवजा लगाने और वसूलने के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगा।

(22) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार प्रपत्रों को संशोधित करेगा तथा जहां प्रपत्र विहित नहीं है, वहां प्रपत्र विहित करेगा ।

11. उपचारात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय तंत्र- (1) सभी मामलों में, संदिग्ध दूषित स्थलों और संभावित दूषित स्थलों के लिए क्रमशः प्रारंभिक जांच और विस्तृत जांच करने के लिए व्यय को प्रारंभ में सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 7(9) के तहत पर्यावरण राहत निधि और राज्य सरकार से पूरा किया जा सकता है।

(2) निधियों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच निम्नलिखित अनुपात में साझा किया जाएगा जैसा कि केन्द्र प्रायोजित योजना पर व्यय विभाग के दिशानिर्देशों में दिया गया है:

a. पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य: 90% केंद्रीय हिस्सा और 10% राज्य हिस्सा

b. अन्य राज्य: 60% केंद्रीय हिस्सा और 40% राज्य हिस्सा

c. केंद्र शासित प्रदेश (विधानसभा सहित और बिना विधानसभा के): 100% केंद्रीय हिस्सा

(3) राज्य सरकार, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 16(1) और 16(5) के तहत पर्यावरण संरक्षण निधि से आवंटित धनराशि का उपयोग कर सकती है और/या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किए गए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निधि से अपने हिस्से की निधियों का उपयोग कर सकती है।

(4) यदि उत्तरदायी व्यक्ति की पहचान हो जाती है, तो प्रारंभिक और विस्तृत स्थल जांच के लिए पर्यावरण राहत निधि और राज्य सरकार से ली गई धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति से तीन माह के भीतर वापस ली जाएगी और उत्तरदायी व्यक्ति पुष्टिकृत दूषित स्थल की उपचार योजना के लिए धनराशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) परित्यक्त स्थलों के मामले में, संदिग्ध दूषित स्थलों, संभावित दूषित स्थलों और पुष्ट दूषित स्थलों के लिए क्रमशः प्रारंभिक जांच, विस्तृत जांच और सुधार योजना तैयार करने के लिए निधियों की पूर्ति लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 7(9) के अंतर्गत पर्यावरण राहत निधि से और राज्य सरकार द्वारा उपनियम (2) में दिए गए अनुपात में की जाएगी।

(6) पुष्टिकृत दूषित स्थलों के लिए, जहां जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान कर ली गई है, लेकिन निधि प्रवाह में देरी हो रही है और विचाराधीन स्थलों के लिए, संदिग्ध दूषित स्थलों, संभावित दूषित स्थलों और पुष्टिकृत दूषित स्थलों के लिए क्रमशः प्रारंभिक जांच, विस्तृत जांच और उपचार योजना या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए निधियों की पूर्ति शुरू में लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 7(9) के तहत पर्यावरण राहत निधि और राज्य सरकार द्वारा उपनियम (2) में दिए गए अनुपात में की जाएगी। जिम्मेदार व्यक्ति से निधियों की प्राप्ति के बाद इन निधियों को पर्यावरण राहत निधि में वापस कर दिया जाएगा ।

(7) यदि विस्तृत जांच के बाद संभावित दूषित स्थल पुष्ट दूषित स्थल नहीं बनता है, तो जिम्मेदार व्यक्ति पर्यावरण राहत कोष और राज्य सरकार को धनराशि वापस करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(8) परित्यक्त स्थलों के मामले में, सुधार की लागत के संदर्भ में:

a. साइट के सुधार के बाद, भूमि स्वामित्व वाली एजेंसी द्वारा भूमि की नीलामी की जा सकती है और राजस्व का कुछ हिस्सा पर्यावरण राहत कोष में वापस किया जा सकता है। इस संबंध में दिशा-निर्देश सीपीसीबी द्वारा तैयार किए जा सकते हैं ।

b. सुधार सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें निजी पक्ष को लागत के आधार पर भूमि के हिस्से का स्वामित्व दिया जा सकता है। यह निजी पक्ष और भूमि स्वामित्व वाली एजेंसी के बीच स्थापित किया जा सकता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तौर-तरीके राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं ।

12. जिम्मेदार व्यक्ति का दायित्व.- (1) जिम्मेदार व्यक्ति पुष्टिकृत दूषित स्थल के कारण पर्यावरण या तीसरे पक्ष को होने वाली सभी क्षतियों के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) जिम्मेदार व्यक्ति, समिति की सिफारिश के आधार पर केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन नियमों के अधीन उपबंधों के उल्लंघन के लिए पर्यावरणीय मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) जिम्मेदार व्यक्ति पूर्णतः, पूर्वव्यापी रूप से, तथा संयुक्त रूप से और पृथक रूप से सुधारात्मक लागतों के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे वह पुष्टिकृत दूषित स्थल पर या उसके बाहर व्यय की गई हो।

(4) नियमों के अनुसार सुधार लागत की सूची अनुसूची III में दी गई है ।

(5) निम्नलिखित कारकों के कारण किसी भी तरह से उसके दायित्व से छूट या बहिष्कृत नहीं किया जाएगा :

a. क्या संदूषण पैदा करने वाली गतिविधि और संदूषण के प्रभाव अलग-अलग समय पर हुए थे, जिसमें अधिनियम आने से पहले भी शामिल है;

b. क्या साइट जांच की आवश्यकता न तो अनिवार्य थी और न ही सामान्य व्यावसायिक अभ्यास के भाग के रूप में अपेक्षित थी और व्यक्ति से ऐसी जांच या परीक्षण करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है;

c. क्या संदूषकों को परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापार संचलन) नियम, 2008 या परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1989 के प्रारंभ होने से पहले अधिसूचित नहीं किया गया था या वे ऐसे पदार्थों के कारण उत्पन्न हुए थे जिन्हें परिसंकटमय पदार्थों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था;

(6) समिति प्राकृतिक संसाधनों की क्षति, पारिस्थितिकी सेवाओं की हानि और वनस्पतियों और जीवों को हुए नुकसान के कारण देयता का निर्धारण कर सकती है। समिति पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों, वनस्पतियों और जीवों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक ढांचा स्थापित कर सकती है और अंतरिम क्षति, यानी प्रदूषण के समय से लेकर उपचार पूरा होने तक और साथ ही किसी भी स्थायी क्षति पर उचित विचार कर सकती है जो हो सकती है।

(7) जहां दूषित स्थल पर स्थित सुविधा पर या स्थल से किसी सामग्री के परिवहन के दौरान कोई दुर्घटना होती है, वहां स्वामी या अधिभोगी या जिम्मेदार व्यक्ति या ट्रांसपोर्टर दुर्घटना के बारे में तुरंत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को टेलीफोन, ई-मेल के माध्यम से सूचित करेगा और तत्पश्चात प्ररूप 5 में रिपोर्ट भेजेगा और उसे ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित करेगा।

(8) इन नियमों में निर्धारित उत्तरदायित्व और दायित्व, दूषित स्थलों से संबंधित मामलों में किसी अन्य कानून के तहत किसी व्यक्ति के उत्तरदायित्व या दायित्व के अतिरिक्त होंगे, न कि उससे अलग।

13. स्वैच्छिक उपचार.- (1) स्वैच्छिक उपचार निम्नलिखित स्थलों के लिए उपयुक्त हो सकता है:

a. जो वर्तमान में संभावित या पुष्टिकृत दूषित स्थलों के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं; या

b. जिनकी वर्तमान में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति द्वारा जांच नहीं की जा रही है; और

c. जहां स्वैच्छिक सुधार का प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति सुधार और संबंधित पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं और स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं का प्रबंधन या प्राप्ति करने में सक्षम है।

(2) कोई व्यक्ति समिति द्वारा समीक्षा के लिए स्वैच्छिक सुधार के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे आवेदन में प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, सभी मालिकों और अधिभोगियों के बीच स्वैच्छिक समझौता, सुधार के लिए भुगतान करने की पर्याप्त क्षमता का साक्ष्य और सुधार के दौरान समिति के निर्देशों और आदेशों का पालन करने का वचन शामिल हो सकता है।

(3) समिति स्वैच्छिक उपचार प्रस्ताव को अनुमोदित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश कर सकती है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि:

a. यह उपनियम (1) में निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है;

b. स्वैच्छिक प्रस्ताव पर सभी साइट मालिकों और अधिभोगियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है और इसे स्वीकार किया गया है;

c. सभी व्यक्तियों ने मिलकर यह प्रदर्शित किया है कि उनके पास सुधार लागत का भुगतान करने की पर्याप्त क्षमता है और सुधार के लिए भुगतान करने हेतु सार्वजनिक निधि की कोई आवश्यकता नहीं है;

d. सभी व्यक्ति समिति द्वारा जारी आदेशों, निर्देशों और नोटिसों का पालन करने के लिए सहमत होंगे;

e. उसने इन नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है। बशर्ते समिति निर्दिष्ट एक या अधिक शर्तों को माफ कर सकती है और/या एक या अधिक शर्तें लगा सकती है।

(4) यदि किसी भी स्तर पर स्वैच्छिक सुधार करने वाला व्यक्ति किसी आदेश या निर्देश या नोटिस का पालन नहीं करता है या इन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उस व्यक्ति द्वारा पहले से किए गए किसी भी खर्च की कोई वापसी

नहीं की जाएगी और समिति आदेशों को लागू करने के लिए सभी कदम उठाएगी जैसे कि कोई स्वैच्छिक सुधार प्रस्ताव नहीं था।

(5) स्वैच्छिक उपचार का अनुमोदन पर्यावरण को होने वाली क्षति या हानि तथा किसी अन्य नियम, इन नियमों के उपबंधों या इसके अधीन जारी आदेशों या निर्देशों का अनुपालन करने में विफलता या उल्लंघन के लिए उत्तरदायित्व से वंचित नहीं करेगा।

14. पर्यावरण क्षतिपूर्ति: (1) पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित गतिविधियों के लिए लगाई जाएगी, -

i. जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा सुधार लागत (अनुसूची III में दी गई) समय पर जमा न करना;

ii. इन नियमों के अंतर्गत जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा गलत जानकारी प्रदान करना / तथ्यों को जानबूझकर छिपाना;

iii. इन नियमों के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं द्वारा जाली/छेड़छाड़ किए गए दस्तावेज़ प्रस्तुत करना;

(2) इन उल्लंघनों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15, 15क , 15ख, 15ग, 15घ, 15ङ और 15च के प्रावधानों के तहत, स्वयं इकाई और/या किसी अन्य इकाई के संबंध में, जो इन नियमों के तहत दायित्वों के उल्लंघन या चोरी में मदद कर सकती है, सुनवाई का अवसर देने के बाद निपटाया जा सकता है।

(3) पर्यावरण क्षतिपूर्ति, उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा जमा की जाने वाली सुधारात्मक लागत की दोगुनी राशि होगी।

(4) पर्यावरण क्षतिपूर्ति संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जिम्मेदार व्यक्तियों पर लगाई जाएगी। यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड साठ दिन में कार्रवाई नहीं करता है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश जारी करेगा।

(5) पर्यावरण क्षतिपूर्ति का भुगतान जिम्मेदार व्यक्तियों को लगाए गए उपचार लागत के भुगतान से मुक्त नहीं करेगा ।

(6) इन नियमों के अन्तर्गत पर्यावरण प्रतिकर के अन्तर्गत एकत्रित धनराशि को लोक दायित्व अधिनियम, 1991 की धारा 7क के अन्तर्गत स्थापित पर्यावरण राहत कोष में रखा जाएगा ।

(7) इन नियमों के अधीन एकत्रित निधियों का उपयोग परित्यक्त स्थलों के सुधार और संदूषण स्थलों से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाएगा, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

(8) निधियों के उपयोग की रूपरेखा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन हेतु केन्द्रीय उपचार समिति द्वारा अनुशंसित की जाएगी ।

(9) इन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित दायित्वों का पालन न करने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15, 15क , 15ख, 15ग, 15घ, 15ङ और 15च के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अनुसूची I

[नियम 9(6) देखें]

उपचार डिजाइन की तैयारी

1. सुधारात्मक डिजाइन में निम्नलिखित बिंदु शामिल किए जाएंगे:
   a. नमूनों का क्षेत्र कार्य और प्रयोगशाला परीक्षण, अन्वेषणात्मक डेटा का विश्लेषण और व्याख्या।
   b. मानव स्वास्थ्य के लिए प्रदूषकों के सान्द्रण स्तर का आकलन, स्रोत-मार्ग-ग्राही संयोजन, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य का मात्रात्मक स्थल विशिष्ट जोखिम आकलन।
   c. साइट विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन के आधार पर सुधारात्मक उद्देश्यों और आवश्यकताओं को निर्धारित करना ।
   d. सुधार में आने वाली बाधाओं की पहचान, उपलब्ध विभिन्न सुधार तकनीकों का मूल्यांकन।
   e. विभिन्न उपचार विकल्पों की तुलना और मूल्यांकन।
2. विस्तृत सुधारात्मक जांच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी।

3. सुधारात्मक विकल्प का विकास और मूल्यांकन एक परामर्शात्मक प्रक्रिया होगी, जो सुधारात्मक डिजाइन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का आधार बनेगी।

4. सुधारात्मक जांच में निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाएगा:

   i. स्क्रीनिंग, प्रतिक्रिया और पृष्ठभूमि स्तर के संबंध में मिट्टी, भूजल, सतही जल और वायु (वाष्पशील पदार्थों के मामले में) में साइट विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त लक्ष्य सांद्रता स्तर";

   ii. भूमि उपयोग और साइट गतिविधि प्रतिबंध, पर्यावरण की गुणवत्ता का स्वीकार्य स्तर, वनस्पति और जीव-जंतुओं को बहाल किया जाना;

   iii. उपयोग में लाई जाने वाली सुधारात्मक तकनीकों की मजबूती, परिपक्वता और प्रभावशीलता की डिग्री तथा आकस्मिक योजना आवश्यकताएं;

   iv. लक्ष्य सांद्रता स्क्रीनिंग/पृष्ठभूमि स्तर होनी चाहिए; यदि साइट विशिष्ट लक्ष्य स्तर (एसएसटीएल) से लक्ष्य सांद्रता स्क्रीनिंग स्तर और प्रतिक्रिया स्तर के बीच है, तो प्रतिबंध लागू होगा जब तक कि एसएसटीएल पृष्ठभूमि स्तर से नीचे न हो;

   v. निगरानी और रखरखाव आवश्यकताएँ,

   vi. अस्थायी अभिरक्षा और नियंत्रण आवश्यकता,

   vii. अस्थायी या स्थायी स्थानांतरण की आवश्यकता,

   viii. प्रासंगिक हितधारक समूह जो प्रभावित हो सकते हैं या प्रभावित हैं, जिनसे परामर्श किया जाना आवश्यक है;

   ix. साइट के आर्थिक मूल्य पर सुधार का प्रभाव, जिसमें सुधार के बाद भूमि उपयोग भी शामिल है, जिसमें साइट का दीर्घकालिक भाग्य भी शामिल है,

   x. साइट गतिविधि और संबंधित पर्यावरण और सामाजिक पहलू;

   xi. सुधार कार्य के प्रारंभ होने और/या कार्यान्वयन के पूरा होने के समय पर बाधाएं या अन्यथा;

   xii. संदर्भ से संबंधित या समिति द्वारा अपेक्षित कोई अन्य आवश्यकताएं;

(5) सुधारात्मक गतिविधियों में स्वास्थ्य और सुरक्षा योजना शामिल होगी जिसमें निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा:

   i. कार्ययोजना में प्रत्येक साइट, कार्य और संचालन के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिम या खतरे का विश्लेषण ।

   ii. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर कर्मचारी प्रशिक्षण।

   iii. चिकित्सा निगरानी।

   iv. प्रत्येक कार्य या संचालन के लिए व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता को परिभाषित करना।

   v. पर्यावरण एवं व्यक्तिगत निगरानी की आवृत्ति एवं उनकी विधियाँ।

   vi. साइट नियंत्रण उपाय

   vii. परिशोधन प्रक्रियाएं

   viii. आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना

   ix. सीमित स्थान में प्रवेश प्रक्रिया

   x. रिसाव नियंत्रण योजना

(6) दूषित स्थलों पर ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी।

अनुसूची II

[नियम 9(6) देखें]

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी

1. सुधारात्मक डिजाइन, सुधारात्मक उद्देश्यों और सुझाए गए तकनीकी विकल्पों के अनुसार सभी जांचों के विवरण के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, सुधार के लिए सांकेतिक लागत, दूषित स्थलों के सुधार के लिए आवश्यक समय-सीमा को संदर्भ संगठन द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपे जाने की तिथि से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

2. संदर्भ संगठन, सुधारात्मक उपायों का सुझाव देते हुए, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में प्रासंगिक हितधारकों, जिनमें साइट के मालिक और अधिभोगी, सार्वजनिक प्राधिकरण, नागरिक समाज संस्थान और समुदाय आधारित संगठन शामिल हैं, के साथ परामर्श के परिणाम को दर्ज करेगा।

3. समिति द्वारा साइट के लिए विशिष्ट सर्वाधिक प्रासंगिक विकल्प को अंतिम रूप देने से पहले तुलना और मूल्यांकन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में सुझाए गए सुधार विकल्पों के मानदंडों में निम्नलिखित शामिल होंगे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

    a. सुधार स्तर,

    b. तकनीकी जोखिम,

    c. लागत और लाभ,

    d. वहनीयता,

    e. सुधार में लगने वाला समय,

    f. उपचार के बाद भूमि उपयोग और साइट गतिविधि, और

    g. सामाजिक पहलु

    h. दीर्घकालिक पारिस्थितिक लाभ

4. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मूल प्रारूप समिति द्वारा अपनी पहली बैठक के दौरान निर्धारित किया जाएगा और उसे सभी संदर्भ प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

5. क्षेत्र में सूचना डाटाबेस और तकनीकी उन्नयन में अद्यतनीकरण के आधार पर समय-समय पर समिति की सिफारिश के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के प्रारूप की समीक्षा करने से कोई रोक नहीं है।

अनुसूची III

[नियम 12(4) देखें]

सुधार लागत

उपचार लागत का तात्पर्य किसी पुष्टिकृत दूषित स्थल के उपचार की सभी लागतों से होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :

a. संदर्भ संगठन, ठेकेदारों, सलाहकारों, विशेषज्ञों, वकीलों, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थानों और सार्वजनिक प्राधिकरणों सहित तीसरे पक्षों को शामिल करने से जुड़ी सभी लागतें;

b. जांच, सर्वेक्षण, मूल्यांकन, नमूनाकरण, प्रयोगशाला विश्लेषण, तैयारी, प्रबंधन, पर्यवेक्षण, सत्यापन, रिपोर्टिंग, समीक्षा, अनुमोदन, मूल्यांकन, सुधारात्मक उपाय, परियोजना प्रबंधन, अनुमति, लाइसेंसिंग, निविदा और बीमा से जुड़ी सभी लागतें;

c. सुधार और सुधार के बाद के उपायों से जुड़ी सभी लागतें जिनमें साइट पहुंच उपाय, परियोजना कार्यालय स्थापित करना, खुदाई, निष्कासन, परिवहन, भरना, उपचार, फ़र्श, दोबारा फ़र्श, फिर से रोपण, बोरिंग, खुदाई, पंपिंग, संचालन, रखरखाव, आपूर्ति, उपयोगिताएँ, उपकरण, सामग्री और वाहन शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;

d. प्रभावित व्यक्तियों के अस्थायी या स्थायी स्थानांतरण और पुनर्वास से जुड़ी सभी लागतें;

e. हितधारक परामर्श, समन्वय, संचार और संघर्ष समाधान के आयोजन से जुड़ी सभी लागतें;

f. भूमि उपयोग और साइट गतिविधि प्रतिबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और लागू करने, साइट की हिरासत और नियंत्रण प्राप्त करने और लागत वसूली से जुड़ी सभी लागतें;

g. पुष्टिकृत दूषित स्थल पर किसी भी इमारत और संरचना के ध्वस्तीकरण, मरम्मत या पुनर्निर्माण से जुड़ी सभी लागतें;

h. पर्यावरणीय क्षति के लिए मुआवजा और पर्यावरण की समानता की बहाली; तथा

i. सभी कर, शुल्क और उपकर, जो भी लागू हों।

प्रपत्र 1

[नियम 6(6) देखें]

सूचना प्रस्तुत करने और संभावित दूषित स्थलों के रूप में साइटों को वर्गीकृत करने का प्रारूप

क्रम सं	**विवरण**	
i.	राज्य	
ii.	क्रम संख्या	
iii.	साइट आईडी	
iv.	जगह का नाम	
v.	पता (सड़क, सड़क संख्या, पिन कोड)	
vi.	जीपीएस निर्देशांक/और ऊंचाई (अक्षांश और देशांतर)	
vii.	भूमि उपयोग (वर्तमान)	
viii.	संदूषण का प्रकार	
ix.	संदिग्ध औद्योगिक प्रक्रिया या कोई अन्य गतिविधि जिसके कारण संदूषण हुआ	
x.	चिंता के प्रदूषक	
xi.	प्रारंभिक साइट निरीक्षण रिपोर्ट	
xii.	विस्तृत साइट जांच की गई (हां/नहीं)	
xiii.	सूचना का स्रोत और साइट को "संभावित दूषित साइट" के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्रारंभिक साइट मूल्यांकन संगठन	
xiv.	मालिक और जिम्मेदार व्यक्ति का नाम	

प्रपत्र 2

[नियम 6(14) देखें]

शहरी स्थानीय निकायों / जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के लिए प्रपत्र

सेवा,

अध्यक्ष ,
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ...

1	पुष्टिकृत दूषित स्थल का नाम	:	
2	अधिभोगी का नाम और पता टेलीफोन नंबर फैक्स नंबर ई-मेल	:	
3	पुष्टिकृत दूषित स्थल के सुधार से संबंधित प्रभारी अधिकारी का नाम	:	
4	कार्य योजना के संबंध में पुष्टिकृत दूषित स्थलों के उपचार की भौतिक प्रगति	:	
5	कार्य योजना के संबंध में पुष्टिकृत दूषित स्थलों के उपचार की वित्तीय प्रगति	:	

स्थान: _____

तारीख: _____

अधिभोगी या जिम्मेदार व्यक्ति

प्रपत्र 3

[नियम 9(22) देखें]

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक सूची हेतु प्रपत्र

सेवा में,

अध्यक्ष,
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
भारत सरकार, 'परिवेश भवन', ईस्ट अर्जुन नगर,
दिल्ली- 110 032

1.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नाम	:	
2.	पता टेलीफोन नंबर फैक्स नंबर ई-मेल	:	
3.	पुष्टिकृत दूषित स्थल के सुधार से संबंधित प्रभारी अधिकारी का नाम	:	

4.	संदिग्ध दूषित स्थलों की वार्षिक सूची		
5.	संभावित दूषित स्थलों की वार्षिक सूची	:	
6.	पुष्टिकृत दूषित स्थलों की वार्षिक सूची	:	
7	पुष्टिकृत दूषित स्थलों की वार्षिक सूची सुधारी गई	:	
8.	साइट जांच रिपोर्ट और डीपीआर की तैयारी की स्थिति	:	
9.	कार्य योजना के संबंध में पुष्टिकृत दूषित स्थलों के उपचार की भौतिक और वित्तीय प्रगति	:	
10.	पुष्टिकृत दूषित साइट स्वामी और जिम्मेदार व्यक्ति की सूची	:	

स्थान: _____

तारीख: _____

अध्यक्ष या सदस्य सचिव

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

प्रपत्र 4

[नियम 10(17) देखें]

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत की जाने वाली दूषित स्थलों के प्रबंधन पर वार्षिक समेकित समीक्षा रिपोर्ट के लिए प्रपत्र

सेवा में,

संयुक्त सचिव/सलाहकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,
इंदिरा पर्यावरण भवन,
जोर बाग रोड, अलीगंज,
नई दिल्ली -110003

1.	संदिग्ध दूषित स्थलों की राज्यवार वार्षिक सूची		
2.	संभावित दूषित स्थलों की राज्यवार वार्षिक सूची	:	
3.	पुष्टिकृत दूषित स्थलों की राज्यवार वार्षिक सूची	:	
4.	पुष्टिकृत दूषित स्थलों की राज्यवार वार्षिक सूची		
5.	साइट जांच रिपोर्ट और डीपीआर की तैयारी की स्थिति	:	
6.	कार्य योजना के संबंध में पुष्टिकृत दूषित स्थलों के उपचार की भौतिक और वित्तीय प्रगति	:	
7.	पुष्टिकृत दूषित स्थल का स्वामी और जिम्मेदार व्यक्ति की राज्यवार सूची		

स्थान: _____

तारीख: _____

अध्यक्ष या सदस्य सचिव

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

प्रपत्र 5

[नियम 12(7) देखें]

दुर्घटना की सूचना देने का प्रारूप

[जिम्मेदार व्यक्ति या ट्रांसपोर्टर द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना है]

सेवा में,

अध्यक्ष,
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ...

1. दुर्घटना की तारीख और समय :
2. दुर्घटना का कारण बनने वाली घटनाओं का क्रम:
3. दुर्घटना में शामिल परिसंकटमय पदार्थों का विवरण:
4. दुर्घटना के कारण स्वास्थ्य या मृत्यु पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने की तिथि

   पर्यावरण :
5. उठाए गए आपातकालीन उपाय:
6. दुर्घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए उठाए गए कदम:
7. ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए कदम:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

स्थान:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

[फा. सं. 12/4/2024-एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2024

S.O. 3550 (E).— WHEREAS areas contaminated by toxic and hazardous substances pose a risk to human health and environment including flora and fauna;

AND WHEREAS National Environment Policy, 2006 recognizes industrial and municipal waste as major cause of pollution and thus major challenge in terms of magnitude necessitating appropriate remedial measures in terms of development and implementation of strategies for clean-up of toxic and hazardous waste dump legacies, in particular in industrial areas, and abandoned mines, and reclamation of such lands for future, sustainable use;

AND WHEREAS a number of probable and confirmed contaminated sites have already been identified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India;

AND WHEREAS there is need to carry out remediation of all confirmed contaminated sites, as required;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 3, 6, 8 and Section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with Rule 5(1), 5(3)(a), 5(13)(1) and 5(13)(2)(i) of the

Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby publishes the following draft rules, which the Central Government proposes to make, for information of the public likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration by the Central Government after expiry of a period of sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the period specified will be taken into consideration by the Central Government.

Any person desirous of making any objection or suggestion with respect to the said draft rules may forward the same, within the period of 60 days from the date of publication of this notification in the Gazette, to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Ali Ganj, Jor Bagh Road, New Delhi 110003 or electronically at email address: sohsmd-mef@gov.in

DRAFT RULES

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. -

(1) These rules may be called the Remediation of Contaminated Sites Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Application. - (1) These Rules shall apply to remediation of sites contaminated by hazardous substances as defined in the Environment (Protection) Act, 1986 and as in various schedules of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and in Public Liability Insurance Act 1991, as amended from time to time, and shall not apply to:

a. sites contaminated by radio-active wastes as covered under the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) and the rules made thereunder;

b. rehabilitation of abandoned mines, sites contaminated by mining waste, damage to environment caused by mining as covered under Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015)

c. Oil spills as governed by the Merchant Shipping Act of 1958, the Marine Insurance Act of 1963 and the Merchant Shipping (Prevention of Pollution of the Sea by Oil) Rules, 1974

(2) Notwithstanding above, if there is co-mingling of hazardous substances with mining waste, bio-medical waste and municipal solid waste at any site, and if the level of contamination of the site(s) with hazardous substances exceeds the threshold specified in these rules then remediation of such sites would be covered under these rules.

3. Definitions. -

(1) In these rules, unless the context otherwise requires. –

1. "absolute liability" means no-fault liability without any exception;
2. "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);
3. Background levels refer to the concentration of substances in soils that are not impacted by the releases of contaminants, and are usually described as naturally occurring or anthropogenic, as indicated below:
   a. naturally occurring substances present in the environment in forms that have not been influenced by human activity; and
   b. anthropogenic substances are natural and human-made substances present in the environment as a result of human activities (not specifically related to the contaminated site in question).
4. "Committee" means Central Remediation Committee constituted by the Ministry of Environment, Forest & Climate Change under Rule 4 of these rules for the purpose of dealing with various issues pertaining to remediation of contaminated sites;
5. "Central Pollution Control Board" means the Central Pollution Control Board constituted under sub-section (1) of section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

6. "contaminant" means hazardous substances above the screening value as prescribed by Central Pollution Control Board on screening and response levels;

7. "confirmed contaminated site" is a delineated area wherein after detailed site investigation, the level of contaminants is equal to or more than the response level and higher than the background level as specified by Central Pollution Control Board;

8. "detailed project report" means a report formulated on the basis of detailed site investigation giving a comprehensive remediation plan comprising of the remediation approach containing remediation option, design of remediation, technical specifications, costing, environment and social impacts associated with the implementation of remedial option, and timeframe of implementation schedule and financing plan;

9. "discharge" means any act of spilling, releasing, leaking, dumping, pouring, pumping, emitting, emptying, injecting, escaping, leaching or disposing contaminants into the environment including drums, barrels, containers containing such contaminants;

10. "Environmental Relief Fund" means a fund as established under section 7 (A), of Public Liability Insurance Act, 1991;

11. "financial security" means deposits or bank guarantees in the format and for the amount as directed by the Committee;

12. "investigated site" means a site wherein on the basis of preliminary assessment or detailed investigation, the contaminants exist at or below screening levels or background levels as established by detailed site investigation, with negligible risk to health and environment;

13. "joint liability" means when more than one person or organisation are jointly liable, each person is individually liable to the full amount of the relevant obligation;

14. "land use" means any generic land use including residential, agricultural, industrial, commercial or public use;

15. "owner" means the person or the Government in possession of the land/ facility;

16. "orphan site" is a contaminated site where responsible persons cannot be traced and for that reason it is necessary to use public funds for investigation and remediation;

17. "person" includes-

    i. an individual,

    ii. a company,

    iii. a firm,

    iv. an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not,

    v. trustee of a trust,

    vi. a local authority, and

    vii. every artificial juridical person, not falling within any of the preceding sub-clauses.

18. "petition" means a petition made in accordance with the Rule 6 (2) of these rules;

19. "contaminated site notice" means a notice issued in accordance with Rule 4 (3) (xi) of these rules;

20. "probable contaminated site" is an area, whether or not delineated, where the presence of contaminants is higher than the screening level based on the preliminary site assessment as prescribed under these rules and require further investigation before a conclusion can be arrived at regarding the need of its remediation;

21. "reference organization'' means a single organization or a group of organizations (institute or university or consulting firm) of repute having relevant multi-disciplinary expertise related to remediation of confirmed contaminated sites including those related to preliminary site assessment, detailed site investigation, remediation investigation, detailed project report formulation, and remediation of confirmed contaminated site;

22. "remediated site" means a site where remediation and post remediation measures have been implemented for the identified/intended land use;

23. "remediation contractor" means a person that meets the criteria specified by the Committee for carrying out remediation;

24. "residual contamination" means the contaminant level after completion of remediation and post remediation measures;

25. "response levels" are levels of hazardous substances in soil and sediments, and ground water and surface water above the background level at which it is very likely that there is threat to human health or the environment;

26. "responsible person" means one or more persons jointly or severally responsible for contamination of site and thus for remediation of such contaminated sites including the remediation cost and other related claims;

27. "restricted site" means a site where remediation and post remediation measures have been implemented and there is residual contamination requiring land use and site activity restrictions;

28. "restricted site notice" means a notice issued in accordance with Rule 9 (17) of these rules;

29. "retroactive liability" means liability which is not limited to the current owner, but includes people who have owned the site in the past;

30. "screening level" are concentrations of hazardous substances in soil and sediments, and ground water and surface water at or below which potential risks to human health or the environment are not likely to occur and where no further investigation and assessment is needed;

31. "several liability" means when more than one person or organisation are severally liable, each person is individually liable to only their part of the relevant obligation;

32. "suspected contaminated site" means the area that is suspected to be contaminated and creating scope of remediation related investigation and other activities including undertaking remediation;

33. "site registry" means the contaminated site registry that contains information on the suspected contaminated, probable contaminated and confirmed contaminated sites in the country, established and maintained by Central Pollution Control Board;

34. "source" in relation to a contaminant means the location from where a contaminant has entered or may enter the environment;

35. "State Pollution Control Board" means the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee constituted under sub-section (1) of section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

36. "voluntary remediation" means certain type of remediation carried out in accordance with Rule 13 of these Rules.

(2) Words and expressions contained in these rules and not defined but defined in the Environment (Protection) Act, 1986 and other Rules under the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the respective Rule.

4. Central Remediation Committee. - (1) Central Remediation Committee shall be constituted by the Central Government under the chairpersonship of Chairman, Central Pollution Control Board

(2) The Committee shall comprise of representatives from relevant Ministries, Departments, Organisations, State/UT Governments and technical experts from relevant subjects.

(3) Responsibilities of Central Remediation Committee. -

i. Prescribe criteria for qualification of reference organization and review for approval of list of reference organization;

ii. Prescribe the basic format for detailed project report, publish the same for all reference purpose and review the format from time to time;

iii. Establish the procedure for the determination of responsible persons, remediation costs, environmental damage

iv. Establish the liability for failure to comply with or contravention of any of the provisions of the Environment (Protection) Act 1986, or the rules made or orders or directions issued thereunder;

v. Specify the qualification criteria for the remediation contractor and site investigator in accordance with these rules;

vi. Determine and finalize the format and amount of financial security;

vii. Upon receipt of the inventory of orphan probable contaminated sites, recommend the Urban Local Body/ District Level Panchayati Raj Institution to award to a reference organization the job of detailed investigation within timeframe stipulated in the guidelines prescribed by Central Pollution Control Board;

viii. Review the detailed site investigation of a probable contaminated site submitted by a reference organization;

ix. Decide the further course of action if on the basis of detailed site investigation, the level of contaminants is found above background as well as screening level but below response level;

x. On receipt of the basis of detailed investigation report, arrive at a decision in consultation with the State Government, within the timeframe stipulated by Central Pollution Control Board, regarding whether the site is confirmed contaminated site and if it requires remediation or only restriction of certain activities, on the basis of risk-based assessment including future land use;

xi. Delineate the confirmed contaminated site to the extent possible and publish the confirmed contaminated site, through a confirmed contaminated site notice, along with the following details:

    a. the site boundaries and features;

    b. the nature and level of contamination and the likely sources of contamination;

    c. the existing or imminent threat of harm to human health, environment or property with respect to land, ground water and surface water;

    d. land use and site activity restrictions and safety measures;

    e. status of remediation of the site;

    f. such other information that the Committee considers necessary and appropriate.

xii. Approve the priority list of orphan confirmed contaminated sites;

xiii. Review the remediation investigation report;

xiv. Direct the State Pollution Control Board to select other sites in the priority list or change the priority listing based on such factors as it considers appropriate. Central Pollution Control Board shall record its decision to change the order of priority of any site;

xv. Grant approval of detailed project report within 4 months from the date of submission by State Pollution Control Board;

xvi. Communicate the approval of Additional / supplementary remediation plan within 60 days of receiving the plan;

xvii. Approve the completion of additional / supplementary remediation activities on the basis of recommendation of Committee within 60 days of reporting of completion of remediation by State Pollution Control Board;

xviii. Communicate the approval for post remediation monitoring plan within 60 days of receiving the plan;

xix. Direct the owner to hand-over temporary custody and control of a confirmed contaminated site to State Pollution Control Board/ Pollution Control Committee for carrying remediation activities and arrange for rehabilitation of persons residing at the confirmed contaminated sites.

xx. Grant approval to the State Pollution Control Board to issue a restricted site notice to reflect the appropriate land use and site activity restriction and instruct the land authorities to amend remark in land records according to the restricted site notice;

xxi. Grant approval to the State Pollution Control Board to instruct the land authorities to remove the remark in the land records;

xxii. Publish the list of Reference Organization having relevant multi-disciplinary expertise related to remediation of confirmed contaminated site on the basis of recommendation of Committee, which can be used by State Pollution Control Board or Responsible person for assigning the activities pertaining to remediation starting from preliminary assessment to post remediation monitoring including but not limited to remediation investigation and formulation of detailed project report;

xxiii. Publish the updated list of Reference Organization, if there is any amendment.

xxiv. Approve the remediation design and preparation of detailed plan for remediation along with proposed site specific target level (SSTL);

xxv. Recommend the remediation cost and financing mechanism;

xxvi. Consider all the representations/comments received by the Central Pollution Control Board from the public regarding the publication of confirmed contaminated sites and submit the recommendation for final publication stipulated in the guidelines prescribed by Central Pollution Control Board from time to time.

(4) The Committee shall meet at least once in six months.

(5) The Committee shall annually review the list of suspected ,probable as well as confirmed contaminated sites and the details of prohibited and regulated activities under these rules.

(6) The Committee shall specify the threshold levels for activities to be regulated and the mode and methodology for undertaking activities in probable and confirmed contaminated sites.

(7) The Committee will ensure the development and functioning of an online portal for the listing of suspected ,probable as well as confirmed contaminated sites.

(8) All the activities of the Committee will be carried out through the online portal.

5. Responsibilities of Central Government. - (1) Central Government shall constitute the Central Remediation Committee.

(2) Central Government may recommend to State Government on the relocation of people already residing in confirmed contaminated sites as part of the remediation process for those sites.

6. Responsibilities of Urban Local Bodies / District Level Panchayati Raj Institutions. - (1) Urban Local Body/ District Level Panchayati Raj Institutions shall prepare the inventory of the suspected contaminated sites within their respective territories, excluding industrial areas and industries, taking information from all entities viz. railways, parks, Special Economic Zones, and submit to State Pollution Control Board/Central Pollution Control Board.

(2) The suspected contaminated site may be selected on the basis of public complaint or on the basis of Urban Local Body / District Level Panchayati Raj Institution's own experiences wherein the Urban Local Body / District Level Panchayati Raj Institution shall be guided by the following factors and shall act on such information:

a. any petitions received with justification or any incident reported in public;

b. any information available through implementation of Hazardous and Other Wastes (Management & Trans-boundary Movement) Rules 2016 and information available through management of consents under Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974;

c. prior studies or investigations done by any agency;

d. information available through location factors that increase the risk of contamination such as vicinity of a previously contaminated site and underground storage of chemicals**;**

e. such other factors as it considers appropriate.

(3) The suspected contaminated site shall be subjected to preliminary site assessment comprising of desk review and limited sampling and analysis to determine its status as probable contaminated site within timeframe stipulated in the guidelines prescribed by Central Pollution Control Board from time to time. The reports of suspected contaminated sites will be sent by the Urban Local Body / District Level Panchayati Raj Institution to the Committee as per the time period stipulated in the guidelines prescribed by Central Pollution Control Board from time to time.

(4) Urban Local Body / District Level Panchayati Raj Institution can either conduct the preliminary site assessment on its own or get it conducted by the owner through reference organization. The preliminary site assessment shall be carried out as per the guidelines issued by Central Pollution Control Board from time to time.

(5) The categorization shall be using the contaminant level according to the screening and response levels as prescribed by Central Pollution Control Board; wherein if the level of contaminants found are above screening level, the site may be categorized as probable site. If they are below the screening levels, the site may be categorised as investigated site and reported to the Committee.

(6) Urban Local Body/ District Level Panchayati Raj Institutions shall submit the inventory of probable contaminated sites in their respective territories to the Central Pollution Control Board as per the format given in Form 1 within a period of one year from the date of commencement of these rules and every year thereafter by 30th June of the following year.

(7) The probable contaminated sites shall be subjected to detailed site investigation. Urban Local Body / District Level Panchayati Raj Institution can either conduct the detailed site investigation on its own or get it conducted by the owner through reference organization. The detailed site investigation shall be carried out as per the guidelines issued by Central Pollution Control Board from time to time.

(8) Urban Local Body/ District Level Panchayati Raj Institutions shall submit the inventory of orphan contaminated sites to the Central Pollution Control Board/State Pollution Control Board.

(9) Urban Local Body/ District Level Panchayati Raj Institutions shall file annual returns on the online portal developed by Central Pollution Control Board/State Pollution Control Board comprising about the number and category of contaminated sites as suspected contaminated sites/ probable contaminated sites/ confirmed contaminated sites with their status (suspected contaminated site – no preliminary investigation / under preliminary investigation / preliminary investigation completed; probable contaminated site – no detailed investigation / under detailed investigation / detailed investigation completed; confirmed contaminated site – no remediation / under remediation / remediation completed) by 30th June of the following year.

(10) Urban Local Body/ District Level Panchayati Raj Institutions shall, upon receiving a petition by any person relating to contamination or presence of contaminants in a site justifying comprehensively the reason for petition, will assess the need for a preliminary site assessment on the basis of which the need for the inclusion of the site in state's annual inventory will be decided.

(11) Urban Local Body/ District Level Panchayati Raj Institutions shall display the probable or confirmed contaminated site notice or cause the contaminated probable or confirmed site notice to be prominently displayed at the site and also provide a copy of the site notice to the relevant public authorities.

(12) Upon receiving a copy of the probable or confirmed contaminated site notice, the land authorities shall add a remark in the land record that the particular land is probable or confirmed contaminated and

a. the permission of the public authority shall be required to change the land use;

b. the permission of the public authority shall be required to carry out any land use and site activity including but not limited to construction, excavation, transportation of material to / from the site, use of surface water and withdrawal of groundwater;

c. the remark shall be removed only upon receiving a direction from the public authority.

(13) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no public authority, government, agency or person without the permission of the Committee shall or shall cause to:

a. change the land use of a probable or confirmed contaminated site;

b. transfer or change in the ownership of any portion or all of land or building of a probable or confirmed contaminated site;

c. transfer or change in the ownership of any facility at probable or confirmed contaminated site including any transfer or change in ownership of the company that owns such facility at probable or confirmed contaminated site;

d. carry out any activity or cease an activity on probable or confirmed contaminated site including transfer or transport of any material to or from the site.

(14) Urban Local Bodies / District Level Panchayati Raj Institutions shall prepare an annual inventory of the confirmed contaminated sites remediated and submit to the State Pollution Control Board in Form 2 by the 30th day of September every year.

(15) Executive Head of Urban Local Body / District Level Panchayati Raj(for rural areas) Institution under their chairpersonship shall include the implementation, enforcement and monitoring of these rules as one of the mandates of the Urban Local Body level / District Level Panchayati Raj Institution level existing Committee on environmental and other related issues. The Committee will have a representation from district / regional office of State Pollution Control Board and also representation of district / regional office of environment department.

7. Responsibilities of Industrial Development Authorities and Industries.- (1) For industrial areas / industries, concerned industrial development authorities/industries shall file and send annual report to Central Pollution Control Board / State Pollution Control Board comprising of information about the number and categorizing the sites as suspected contaminated sites/ probable contaminated sites / confirmed contaminated sites.

8. Responsibilities of State Government. - (1) State/UT Government shall provide its views to the Committee on the matters related to:

a. Reviewing of inventory of suspected, probable or confirmed contaminated sites in the State/UT submitted by the concerned State Pollution Control Board;

b. Deciding if a probable contaminated site is confirmed contaminated site and if it requires remediation or only restriction of certain activities, on the basis of risk based assessment including future land use;

c. Recommending to a reference organization, the job of detailed investigation, within a period of 90 days from the date of receipt of the inventory of probable contaminated sites; and

d. Arriving at a decision on the proposal, within a period of 90 days from the date of receipt of the report, regarding whether the site is confirmed contaminated site and if it requires remediation or only restriction of certain activities, on the basis of risk based assessment including future land use.

(2) State / UT Government shall review the suspected / probable / confirmed contaminated sites to ensure the remediation in a timely manner.

(3) State/UT Government shall develop the modalities of Public Private Partnership Model for remediation of orphan sites.

(4) State Government may allocate the land under orphan contaminated site to the beneficiaries eligible under Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) -Grameen (G) & Urban (U) for construction of residential houses, after its remediation and the declaration of its suitability for habitation by concerned State Pollution Control Board as per the prescribed guidelines.

(5) For the purpose of implementation of the provisions of these rules, the State Government or Union Territory administration shall constitute a Committee within three months from the date of publication of these rules under the chairmanship of Additional Chief Secretary / Principal Secretary - Environment Department with Secretary-Municipal Administration & Urban Development Department, Secretary-in-Charge - Department of Panchayati Raj, Secretary – Industrial Department.

9. Responsibilities of State Pollution Control Board. - (1) State Pollution Control Board shall send the reports received by Urban Local Bodies / District Level Panchayati Raj Institutions comprising of information and categorizing the sites as investigated sites/ probable contaminated sites / confirmed contaminated sites along with their status to the Committee.

(2) State Pollution Control Board shall submit all confirmed contaminated sites requiring remediation in a State/UT to a ranking process to prepare the priority list to reflect the threat to human health and environment, within 90 days from the date of receipt of confirmation on confirmed contaminated site list from Central Pollution Control Board.

(3) State Pollution Control Board shall prioritize sites in the states for remediation on the basis of guidelines prescribed by Central Pollution Control Board from time to time.

(4) State Pollution Control Board shall, on direction of Central Pollution Control Board, select other sites in the priority list or change the priority listing based on such factors as Central Pollution Control Board considers appropriate.

(5) State Pollution Control Board shall provide its views to the Central Pollution Control Board to keep updated a contaminated site registry that contains all information on suspected, probable and confirmed contaminated sites' in the country.

(6) State Pollution Control Board shall, within 90 days from the recommendation of the Committee about the confirmed contaminated site, order the Responsible person for preparation of remediation design and preparation of detailed project report by a reference organisation. The guidance for preparing the remediation design and detailed project report are given in Schedule I and Schedule II, respectively.

(7) In case of slow response from the Responsible person, State Pollution Control Board shall take up the remediation activity including from assessment to post remediation on their own; however, the complete cost of assessment to remediation shall be paid by the Responsible person.

(8) State Pollution Control Board shall review the detailed project report, get it revised if necessary and submit the same to the Committee for approval within 2 months from date of receipt of original or revised detailed project report as the case may be from the Reference Organization.

(9) In case of orphan sites and sites under sub-judice, State Pollution Control Board shall:

i. on its own using the services of Reference Organization, develop the remediation plan (supplementary remediation in case of residual contamination) and submit it to the Central Pollution Control Board within timeframe stipulated in the guidelines prescribed by Central Pollution Control Board.

ii. on its own using the services of Reference Organization, prepare the Detailed Project Report and remediation design for remediation of confirmed contaminated sites;

iii. on its own using the services of Reference Organization, initiate the process for implementation of remediation (supplementary remediation in case of residual contamination) which include preparation of tender documents for implementation of remediation works and inviting bids for remediation contractors;

iv. formulate and submit the tender evaluation report and remediation plan report (supplementary remediation plan report in case of residual contamination) within 60 days to the Committee for review and approval, which will grant its approval within 60 days;

v. appoint the remediation contractor (supplementary remediation contractor in case of residual contamination) on the basis of approval by the Committee. The remediation work shall be initiated by the contractor immediately after getting the approval from the Committee and the same shall be supervised by the Reference Organization involved in formulation of detailed project report;

vi. closely monitor the remediation work (supplementary remediation work in case of residual contamination) and verify the outcomes against the detailed project report specifications, using the services of the Reference Organization;

vii. shall report completion of remediation (supplementary remediation in case of residual contamination) to Central Pollution Control Board which will approve the completion of remediation activities on the basis of recommendation of Committee within 60 days.

(10) State Pollution Control Board, using the services of the Reference Organization, shall develop the post remediation monitoring plan and submit it to the Committee within timeframe stipulated in the guidelines prescribed by Central Pollution Control Board, after issuance of remediation completion order or additional/supplementary completion order recommended by the Committee.

(11) The post remediation monitoring plan shall include management measures, technical measures including monitoring and maintenance measures, deviation points and reporting plan.

(12) State Pollution Control Board, by itself or through Responsible person, prepare tender documents for implementation of post remediation monitoring activities and invite bids, if required.

(13) State Pollution Control Board shall review the tender evaluation report.

(14) State Pollution Control Board shall report completion of post remediation monitoring measures to Central Pollution Control Board which will approve the completion of post remediation monitoring measures on the basis of recommendation of Committee within 60 days.

(15) State Pollution Control Board shall, by a remediation completion order, direct the site owner such measures as it deems appropriate including but not limited to:

a. carry out permitted activities on the site and to use the site for permitted purposes and not carry out restricted activities on the site and to not use the site for restricted purposes;

b. not allow any other person to carry out restricted activities on the site and to not allow any other person to use the site for restricted purposes;

c. inform any change or transfer of ownership or control of site;

d. allow access to site for carrying out any assessment or investigations in future;

e. follow such health and safety measures as advised;

f. such other matters as it deems appropriate.

(16) State Pollution Control Board shall provide a copy of the remediation completion order to the State Government, Central Pollution Control Board, relevant public authorities and Responsible persons, as applicable.

(17) For a restricted site, State Pollution Control Board shall, with approval of Central Government, issue a restricted site notice to reflect the appropriate land use and site activity restriction and instruct the land authorities to amend remark in land records according to the restricted site notice. For a remediated site, State Pollution Control Board shall, with approval of Central Government, instruct the land authorities to remove the remark in the land records.

(18) State Pollution Control Board shall use the list of Reference Organization notified by the Central Pollution Control Board for assigning the activities pertaining to remediation starting from preliminary assessment to post remediation monitoring including but not limited to remediation investigation and formulation of detailed project report.

(19) State Pollution Control Board shall immediately initiate the search for responsible person and gather prima facie evidence after the site has been confirmed as probable contaminated site as part of the inventory.

(20) State Pollution Control Board shall submit the details of responsible person with reference to each site in the inventory to the Committee.

(21) State Pollution Control Board shall levy financial penalties on the responsible person for any violation of the provisions under these rules with the prior approval of the Central Pollution Control Board based on the recommendation of Committee.

(22) Based on the annual progress report received from the Urban Local Bodies / District Level Panchayati Raj Institutions in Form 2, State Pollution Control Board shall prepare annual inventory of the confirmed contaminated sites remediated and submit to the Central Pollution Control Board in Form 3 by the 30th day of September every year. State Pollution Control Board shall also prepare the inventory of confirmed contaminated site owner and responsible person and shall submit the information to Central Pollution Control Board.

(23) State Pollution Control Board shall provide all the details regarding suspected contaminated, probable contaminated and confirmed contaminated sites as well as progress of remediation on the online portal developed by Central Pollution Control Board.

(24) Detailed Project Report shall be submitted to the Committee in not more than 6 months. Any extension will be granted only after the review of the State Pollution Control Board.

10. Responsibilities of Central Pollution Control Board. – (1) Central Pollution Control Board, with the recommendation of the Committee, shall publish the site as confirmed contaminated site in the online portal for public information inviting objections and suggestions from the general public likely to be affected to make representation within the timeframe stipulated in the guidelines prescribed by Central Pollution Control Board from time to time.

(2) Central Pollution Control Board shall refer the representations / comments received from the public to the Committee.

(3) Central Pollution Control Board shall on receipt of the recommendations of the Committee shall publish the site as probable or confirmed contaminated, restriction on site use activity, safety measures that may be required and temporary relocation of site occupier, if required and status of remediation and forward it to State/UT Government and State Pollution Control Board.

(4) On receipt of recommendations of the Committee, Central Pollution Control Board shall publish the final remediation completion order.

(5) While issuing the Completion Order, Central Pollution Control Board shall decide that:

a. the additional / supplementary remediation objectives have been met and issue an additional / supplementary remediation completion order; or

b. the additional / supplementary remediation objectives have not been met and direct additional or modified remediation measures.

(6) Central Pollution Control Board, on the basis of recommendation of the Committee, shall grant approval to the State Pollution Control Board for levying financial penalties on the responsible person for any violation of the provisions under these rules.

(7) Central Pollution Control Board shall develop the online portal with geotagging/geo-fencing, remote sensing and satellite imagery of all probable and confirmed contaminated sites.

(8) The Central Pollution Control Board shall establish and, in consultation with the State Pollution Control Board, maintain a contaminated site registry in the online portal that contains all information on probable confirmed contaminated sites in the country including:

a. site description and location;

b. extent and level of contaminant and threat to human health and environment damage;

c. all information on the site including but not limited to records, documents, maps, petitions, reports, orders, notices, approvals, decisions, communication, plans, evidences, court proceedings and noting in land register;

d. land use and site activity restrictions;

e. status of remediation process;

f. contact details of all persons associated or involved with the site or remediation;

g. such other information that the State Pollution Control Board may deem appropriate.

(9) Central Pollution Control Board shall issue guidelines for preliminary site assessment from time to time.

(10) Central Pollution Control Board shall issue guidelines for detailed site investigation from time to time. The guidelines will provide information on investigation strategy; methodology of collecting and testing soil, air and water samples; identifying sources, receptor and pathway of potential contamination; and assessing if the site may pose threat to human health and environment.

(11) During detailed site investigation, if the level of contamination is found above response level, the Site will be categorized as confirmed contaminated site and will require remediation.

(12) Central Pollution Control Board shall prescribe guidelines for risk based assessment from time to time.

(13) Central Pollution Control Board shall prescribe guidelines for prioritisation of sites for remediation from time to time.

(14) Central Pollution Control Board shall prescribe guidelines for detailed remediation investigation from time to time.

(15) Central Pollution Control Board shall prescribe guidelines for remediation of the orphan sites using the funds.

(16) Central Pollution Control Board shall mark the status of a site in the site registry as remediated site or restricted site based on whether there is residual contamination.

(17) Central Pollution Control Board shall prepare the consolidated review report on management of contaminated sites in Form 4 and forward it to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, along with its recommendations, before the 30th day of September once in every year and publish it on the online portal.

(18) Central Pollution Control Board shall publish all guidelines/information on the online portal.

(19) Central Pollution Control Board may approve the utilisation of funds under Environmental Relief Fund under Section 7 (A) of Public Liability Insurance Act, 1991 for contaminated sites where the responsible persons have not given the funds for remediation or in case of Orphan Sites.

(20) Central Pollution Control Board shall prescribe the categorization of the contaminant level according to the Screening and Response levels.

(21) Central Pollution Control Board shall prepare guidelines for imposition and collection of Environmental Compensation from responsible persons/entities in case of non-fulfilment of obligations or non-compliance of provisions under these rules.

(22) Central Pollution Control Board shall modify forms within these rules as required and prescribe forms where it is not prescribed.

11. Financial mechanism for remediation activities- (1) In all cases, expenditure for conducting preliminary investigation and detailed investigation for suspected contaminated sites and probable contaminated sites, respectively, may be initially met from the Environmental Relief Fund under Section 7(9) of the Public Liability Insurance Act, 1991 and the State Government.

(2) The funds shall be shared between Central Government and State Government in the following ratio as given in the guidelines of Department of Expenditure on Centrally Sponsored Scheme:

a. North Eastern & Himalayan States: 90% Central share and 10% State share

b. Other States: 60% Central share and 40% State share

c. Union Territories (with legislature and without legislature): 100% Central share

(3) The State Government may utilise the funds allocated to it from Environmental Protection Fund under Sections 16 (1) and 16 (5) of the Environment (Protection) Act, 1986 and/or funds from Environmental Compensation collected by State Pollution Control Board for its share.

(4) In case the responsible person is identified, the funds drawn from the Environmental Relief Fund and State Government for preliminary and detailed site investigation shall be recouped from the responsible person within 3 months, and the responsible person shall be liable for payment of funds for remediation plan of the confirmed contaminated site.

(5) In case of orphan sites, the funds for conducting preliminary investigation, detailed investigation and preparation of remediation plan for suspected contaminated sites, probable contaminated sites and confirmed contaminated sites, respectively, shall be met from the Environmental Relief Fund under Section 7(9) of the Public Liability Insurance Act, 1991 and the State Government in the ratio as given in sub-rule (2).

(6) For the confirmed contaminated sites where the responsible person has been identified but there is a delay in fund flow and for sites under sub-judice, the funds for conducting preliminary investigation, detailed investigation and preparation of remediation plan or detailed project report for suspected contaminated sites, probable contaminated sites and confirmed contaminated sites, respectively, shall be initially be met from the Environmental Relief Fund under Section 7(9) of the Public Liability Insurance Act, 1991 and the State Government in the ratio as given in sub-rule (2). These funds shall be recouped to Environmental Relief Fund after the receipt of funds from the responsible person.

(7) In case the probable contaminated site does not become confirmed contaminated site after detailed investigation, the responsible person shall not be liable for recouping of funds to Environmental Relief Fund and State Government.

(8) In case of orphan sites, with reference to cost for remediation:

a. Upon remediation of the site, the land may be auctioned by the land owning agency and the part of the revenue may be recouped to the Environmental Relief Fund. Guidelines in this regard may be prepared by CPCB.

b. Remediation may be done through Public Private Partnership Model wherein the private party may be given ownership of the part of the land in view of the cost incurred. This may be established between the private party and the land owning agency. The modalities of the Public Private Partnership Model may be prescribed by the State Government.

12. Liability of responsible person. - (1) The responsible person shall be liable for all damages caused to the environment or third party due to confirmed contaminated site.

(2) The responsible person shall be liable to pay environmental compensation for violation of provisions under these rules by the State Pollution Control Board with the prior approval of the Central Government on the basis of recommendation of Committee.

(3) The responsible person is absolutely, retroactively, and jointly and severally liable for remediation costs, whether incurred on or off the confirmed contaminated site.

(4) The list of remediation cost as per the rules is given in Schedule III.

(5) A responsible person shall not be in any way be exempted or excluded from its liability on account of the following factors:

a. whether the activity causing contamination and effects of contamination occurred at different points in time, including before coming of the Act;

b. whether the requirement of a site investigation was neither mandatory nor expected as part of normal business practice and the person cannot be expected to carry out such investigations or examinations;

c. whether the contaminants were not notified prior to the commencement of Hazardous and Other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008 or Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 1989 or were caused by substances that were not notified as hazardous substances;

(6) The Committee may determine the liability on account of natural resource damage, loss of ecological services and damage to flora and fauna. The Committee may establish a framework for estimating the damage to environment, natural resources, flora and fauna and give due consideration to the interim damage, i.e., from the time of contamination to completion of remediation as well as to any permanent damage that may have occurred.

(7) Where an accident occurs at the contaminated site or the facility on the contaminated site or during transport of any material to or from the site, the owner or occupier or responsible person or the transporter shall immediately intimate the State Pollution Control Board through telephone, e-mail about the accident and subsequently send a report in Form 5 and publish it on the online portal.

(8) The responsibility and liability set out in these rules shall be in addition and not in derogation to the responsibility or liability of a person under any other law in matters relating to contaminated sites.

13. Voluntary remediation. - (1) A voluntary remediation may be suitable for sites:

a. that are currently not categorized as probable or confirmed contaminated sites; or

b. that are currently not being investigated by the State Pollution Control Board or the Committee; and

c. where the person proposing voluntary remediation is competent to manage or procure management of remediation and related environment and social aspects and local community requirements.

(2) A person may submit an application for voluntary remediation for review by the Committee. Such application may contain preliminary assessment report, preliminary investigation report, voluntary agreement between all owners and occupiers, evidence of sufficient capacity to pay for remediation and an undertaking to comply with Committee's directions and orders during remediation.

(3) The Committee may recommend to the Central Government to approve the voluntary remediation proposal if it is satisfied that:

a. it meets the criteria set out in sub-rule (1) above;

b. the voluntary proposal has been agreed and accepted by all site owners and occupiers;

c. all persons together have demonstrated that they have sufficient capacity to pay the remediation cost and there is no requirement of public funding to pay for remediation;

d. all persons agree to abide by the orders, directions and notices issued by the Committee;

e. it has followed the process laid out under these rules. Provided the Committee may waive one or more conditions specified and / or impose one or more conditions.

(4) If at any stage, the person undertaking voluntary remediation does not follow any order or directive or notice or contravenes the provisions of these rules, there shall be no refund of any costs already incurred by the person and the Committee shall take all steps to enforce the orders as if there was no voluntary remediation proposal.

(5) Approval of voluntary remediation shall not preclude the imposition or otherwise of damages or loss to environment and liability for failure to comply with or contravention of any other rules, provisions of these rules or orders or directions issued thereunder.

14. Environmental Compensation: (1) Environmental Compensation shall be levied for the following activities based on polluter pays principle, -

i. responsible persons not depositing the remediation cost (as given in Schedule III) on time;

ii. providing false information/ wilful concealment of material facts by responsible persons under these rules;

iii. submission of forged/manipulated documents by the entities registered under these rules;

(2) These violations may also be dealt with under the provisions of sections 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 15E and 15F of the Environment (Protection) Act, 1986, in respect of entity itself and/or any entity that may help abet evade or violate obligations under these rules, after giving an opportunity of being heard.

(3) Environmental Compensation will be double the amount of remediation cost that was to be deposited by the responsible persons.

(4) Environmental Compensation shall be levied by respective State Pollution Control Board on responsible persons. In case, the State Pollution Control Board does not take action in sixty days, the Central Pollution Control Board shall issue directions to the State Pollution Control Board.

(5) Payment of Environmental Compensation shall not absolve the responsible persons from payment of remediation cost that has been levied.

(6) The funds collected under Environmental Compensation under these rules, shall be kept in Environmental Relief Fund established under section 7A of Public Liability Act, 1991.

(7) The funds collected under these rules for shall be utilised in remediation of the Orphan Sites and for activities relating to contamination sites as decided by the Central Government .

(8) The modalities for utilisation of the funds would be recommended by the Central Remediation Committee for the approval of Central Government.

(9) Non-compliance of obligations set out under these guidelines will attract penal actions under sections 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 15E and 15F the Environment (Protection) Act, 1986.

SCHEDULE I

[see Rule 9(6)]

PREPARATION OF REMEDIATION DESIGN

(1) Following points shall be included in remediation design:

a. Fieldwork and laboratory testing of samples, analysis and interpretation of exploratory data.

b. Assessment of concentration levels of contaminants, source-pathway-receptor combinations for human health, quantitative site specific risk assessment of environment and human health.

c. Setting remediation objectives and requirements based on the site specific risk assessment.

d. Identification of constraints to remediation, appraisal of different remediation techniques available.

e. Comparison and evaluation of various remediation options.

(2) Detailed remediation investigation shall be as per the guidelines prescribed by Central Pollution Control Board from time to time.

(3) Remediation option development and evaluation would be a consultative process, which shall form the basis of remedial design and detailed project report preparation.

(4) Remediation investigation shall take into account following objectives:

i. target concentration levels arrived on the basis of site specific risk assessment in soil, groundwater, surface water and air (in case of volatile substances) with respect to screening, response and background level");

ii. land use and site activity restrictions, acceptable level of quality of environment, flora and fauna to be restored;

iii. degree of robustness, maturity and effectiveness of remediation techniques to be employed and contingency planning requirements;

iv. target concentration should be screening/background level; in case target concentration from Site Specific Target Level (SSTL) are between screening level and response level then restriction shall apply unless the SSTL are below background level;

v. monitoring and maintenance requirements,

vi. temporary custody and control requirement,

vii. temporary or permanent relocation requirement,

viii. relevant stakeholder groups that may or are impacted that need to be consulted;

ix. impact of remediation on the economic value of the site including post remediation land use, including long term fate of the site,

xiii. site activity and related environment and social aspects;

xiv. constraints or otherwise on the timing of commencement of remediation and/or completion of implementation;

xv. any other requirements relevant to the context or required by the Committee.

(5) Remediation activities shall include health and safety plan which shall address the following aspects:

i. A safety and health risk or hazard analysis for each site, task and operation found in the workplan.

ii. Employee training on health and safety.

iii. Medical surveillance.

iv. Defining Personal protective equipment requirement for each task or operation.

v. Frequency of environmental and personal monitoring and their methods.

vi. Site control measures.

vii. Decontamination procedures.

viii. An Emergency Response Plan.

ix. Confined Space entry procedures.

x. Spill containment plan.

(6) Online monitoring systems shall be set up at the contaminated sites

SCHEDULE II

[see Rule 9(6)]

PREPARATION OF DETAILED PROJECT REPORT

1. The detailed project report with details of all investigations as per the remediation design, remediation objectives and suggested technological options along with indicative cost for remediation, timeframe required for remediation of the contaminated sites shall be submitted by the Reference Organization within timeframe stipulated in the guidelines prescribed by Central Pollution Control Board, from the date of assignment to State Pollution Control Board.
2. The Reference Organization shall record the outcome of consultation with relevant stakeholders including but not limited to site owner and occupier, public authorities, civil society institutions and community based organizations, in detailed project report, while suggesting the remediation
3. The criteria for suggested remediation options in the detailed project report for comparison and appraisal before finalizing the most relevant option as specific to the site by the Committee shall include but not limited to:
    a. remediation level,
    b. technical risks,
    c. costs and benefits,
    d. sustainability,
    e. time taken for remediation,
    f. post remediation land use and site activity, and
    g. social aspects.
    h. long term ecological benefits
4. The basic format for detailed project report shall be prescribed by Committee during its first meeting and the same shall be published by Central Government for all reference purpose.
5. Provided that nothing precludes Central Government from reviewing the format of detailed project report on the basis of recommendation of Committee from time to time on the basis of updation in the information database and technological upgradation in the sector.

SCHEDULE III

[see Rule 12(4)]

REMEDIATION COST

The remediation cost shall mean all costs of remediation of a confirmed contaminated site including but not limited to:

a. all costs associated with engaging third parties including reference organisation, contractors, consultants, specialists, experts, lawyers, laboratories, research institutes and public authorities;
b. all costs associated with investigation, survey, assessment, sampling, laboratory analysis, preparation, management, supervision, verification, reporting, review, approval, evaluation, corrective measures, project management, permitting, licensing, tendering and insurance;
c. all costs associated with remediation and post remediation measures including but not limited to site access measures, establishing project offices, excavation, removal, transport, filling, treatment, paving, repaving, replanting, boring, digging, pumping, operation, maintenance, supplies, utilities, equipment, material and vehicles;
d. all costs associated with temporary or permanent relocation and rehabilitation of affected persons;
e. all costs associated with organizing stakeholder consultation, co-ordination, communication and conflict resolutions;
f. all costs associated with securing and enforcing compliance with land use and site activity restrictions, obtaining custody and control of site and cost recovery;
g. all costs associated with demolishing, repairing or rebuilding of any building and structure at the confirmed contaminated site;
h. compensation for environmental damage and restoration of equality of environment; and
i. all taxes, duties and levies as applicable.

Form 1

[see Rule 6(6)]

FORMAT FOR SUBMISSION OF INFORMATION AND CATEGORIZING SITES AS PROBABLE CONTAMINATED

SI No.	**Particulars**	**Details**
i.	State	
ii.	Serial number	
iii.	Site ID	
iv.	Site Name	
v.	Address (Street, Street number, postal code)	
vi.	GPS coordinates /and elevation (latitude and longitude)	
vii.	Land use (current)	
viii.	Type of contamination	
ix.	Suspected industrial processes or any other activity which caused the contamination	
x.	Contaminants of concern	
xi.	Preliminary site Inspection report	
xii.	Detailed site investigation performed (yes/no)	
xiii.	Source of information and the preliminary site assessment organization for categorizing the site as a "Probable contaminated site"	
xiv.	Name of owner and responsible person	

Form 2

[see Rule 6(14)]

FORM FOR ANNUAL PROGRESS REPORT TO BE SUBMITTED BY URBAN LOCAL BODIES / DISTRICT LEVEL PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS TO THE STATE POLLUTION CONTROL BOARD

To,

The Chairman,
State Pollution Control Board,
……
……
……

1	Name of confirmed contaminated site	:	
2	Name and address of occupier Telephone number Fax number E-mail	:	
3	Name of officer in-charge dealing with the remediation of the confirmed contaminated site	:	
4	Physical progress of the remediation of confirmed contaminated sites with regard to action plan	:	

5	Financial progress of the remediation of confirmed contaminated sites with regard to action plan	:	

Place: _____

Date: _____

Occupier or responsible person

Form 3

[see Rule 9(22)]

FORM FOR ANNUAl INVENTORY TO BE SUBMITTED BY THE STATE POLLUTION CONTROL BOARD TO THE CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

To,

The Chairman,
Central Pollution Control Board,
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change)
Government Of India, 'Parivesh Bhawan', East Arjun Nagar,
Delhi- 110 032

1.	Name of the State Pollution Control Board	:	
2.	Address Telephone number Fax number E-mail	:	
3.	Name of officer in-charge dealing with the remediation of the confirmed contaminated site	:	
4.	Annual inventory of suspected contaminated sites		
5.	Annual inventory of probable contaminated sites	:	
6.	Annual inventory of confirmed contaminated sites	:	
	Annual inventory of confirmed contaminated sites remediated	:	
7.	Status of preparation of site investigation report and DPR	:	
	Physical and financial progress of the remediation of confirmed contaminated sites with regard to action plan	:	
	Inventory of confirmed contaminated site owner and responsible person	:	

Place: _____

Date: _____

Chairman or the Member Secretary

State Pollution Control Board

Form 4

[see Rule 10(17)]

FORM FOR ANNUAL CONSOLIDATED REVIEW REPORT ON MANAGEMENT OF CONTAMINATED SITES TO BE SUBMITTED BY THE CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD TO MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

To,

The Joint Secretary / Adviser,
Ministry of Environment , Forest and Climate Change
Government Of India,

Indira Paryavaran Bhawan,

Jor Bagh Road, Aliganj,

New Delhi -110003

1.	State-wise annual inventory of suspected contaminated sites		
2.	State-wise annual inventory of probable contaminated sites	:	
3.	State-wise annual inventory of confirmed contaminated sites	:	
4.	State-wise annual inventory of confirmed contaminated sites remediated		
5.	Status of preparation of site investigation report and DPR	:	
6.	Physical and financial progress of the remediation of confirmed contaminated sites with regard to action plan	:	
7.	State-wise inventory of confirmed contaminated site owner and responsible person		

Place: _____

Date: _____

Chairman or the Member Secretary
Central Pollution Control Board

FORM 5

[see Rule 12(7)]

FORMAT FOR REPORTING ACCIDENT

[To be submitted by the responsible person or transporter to the State Pollution Control Board]

To,

The Chairman,
State Pollution Control Board,
……
……
……

1. The date and time of the accident :
2. Sequence of events leading to accident :
3. Details of hazardous substances involved in accident :

4.	The date for assessing the effects of the accident on health or the environment	:
5.	The emergency measures taken	:
6.	The steps taken to alleviate the effects of accidents	:
7.	The steps taken to prevent the recurrence of such an accident	:

Date:

Signature:

Place:

Signature of the authorised person

[F. No. 12/4/2024 -HSM]
NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.08.22 14:12:53 +05'30'